शैक्षिक समाचार राजस्थान

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
www.rajsmsa.nic.in
फोन नं: 0141–2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2020–21/13787 दिनांक :17/8/2020

दिशा–निर्देश

विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु ऑनलाईन शिक्षण

समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा अन्तर्गत दिव्यांजन अधिकार अधिनियम–2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) में वर्णित दिव्यांगता की सभी 21 श्रेणियों के विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को संदर्भ व्यक्ति (CWSN) एवं विशेष शिक्षकों द्वारा शैक्षिक एवं थैरेपिक सम्बंलन प्रदान किया जा रहा है। कोविड–19 के मध्यनजर विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के अध्ययन–अध्यापन का कार्य ऑनलाइन किया जाना है। शिक्षा विभाग एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा कोविड–19 में बालक–बालिकाओं के शिक्षण कार्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न ऑनलाइन शिक्षण कार्य यथा शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, स्माईल आदि संचालित कर नवाचारों से लाभान्वित किया जा रहा है। विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को ऑनलाइन शैक्षिक संबंलन, थैरेपिक संबंलन/परामर्श का कार्य निम्नानुसार व्हाट्सअप ग्रुप तैयार कर किया जाना है :–

1. **State Resource Group (SRG) for Online Learning of CWSN :-**

श्रवणबाधित विद्यार्थियों (HI) हेतु राजकीय आनन्दी लाल पोदार बधिर विद्यालय, जयपुर एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों (VI) हेतु राजकीय प्रज्ञा चक्षु अंध उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर द्वारा नोडल एजेन्सी के रूप में शिक्षण सामग्री निर्माण एवं चयन का कार्य किया जायेगा। नोडल एजेन्सी को State Resource Group के सदस्य शैक्षणिक सामग्री निर्माण में सहयोग करेगे।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

2. **State Online Learning Group of CWSN :-**

यह समूह परिषद कार्यालय के समावेशी शिक्षा प्रकोष्ठ की निगरानी में कार्य करेगा। इस समूह में State Resource Group (SRG) एवं समस्त जिलों के समावेशी शिक्षा प्रभारी सदस्य होंगे। नोडल एजेन्सी द्वारा तैयार एवं चयन की गई शिक्षण सामग्री इस समूह में साझा की जावेगी।

3. **District Online Learning Group of CWSN :-**

यह समूह जिला समन्वयक/समावेशी शिक्षा प्रभारी द्वारा अति0 जिला परियोजना समन्वयक के निर्देशन में तैयार किया जावेगा। State Group से प्राप्त सामग्री जिला समूह में प्रेषित की जायेगी। जिला ग्रुप में जिले के समस्त संदर्भ व्यक्ति (CWSN) एवं राजकीय विशेष विद्यालयों के विशेष शिक्षक सदस्य होंगे।

4. **Block Online Learning for CWSN :-**

ब्लॉक में विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं की संख्या के अनुसार ब्लॉक/स्कूल स्तरीय व्हाट्सअप ग्रुप तैयार किये जायेंगे। ये ग्रुप प्रत्येक श्रेणी के विद्यार्थियों हेतु कक्षावार पृथक–पृथक होंगे। जिला समूह से प्राप्त सामग्री इन समूहों में संदर्भ व्यक्ति (CWSN) /विशेष शिक्षकों द्वारा प्रेषित की जायेगी।

5. अन्य उल्लेखनीय बिन्दु निम्नानुसार है :–

- राज्य सरकार के निर्देशानुसार बोर्ड कक्षाओं एवं अन्य कक्षाओं के पाठ्यक्रम के मासिक विभाजन अनुसार शिक्षण सामग्री (E-Content) की उपलब्धता ग्रुप में सुनिश्चित की जावेगी।
- शाला दर्पण व RSCERT से मैसेज, डिजाईनिंग एवं Google Feedback Form इत्यादि कार्यो में तकनीकी सहयोग लिया जायेगा।
- शैक्षणिक सामग्री की Competancy, Mapping & Designing इत्यादि कार्यो में राजकीय आनन्दी लाल पोदार बधिर विद्यालय, जयपुर एवं राजकीय प्रज्ञा चक्षु अंध उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- वर्तमान परिस्थितियों में CWSN के शिक्षण हेतु विशेष शिक्षकों/संदर्भ व्यक्तियों (CWSN) द्वारा अभिभावकों से संवाद कर प्रभावी एवं उपयोगी जानकारी प्रदान की जायेगी।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/विशेष शिक्षकों द्वारा प्रतिदिवस कम से कम 5 विद्यार्थियों व अभिभावकों से कॉलिंग द्वारा संपर्क कर शिक्षण कार्य से लाभान्वित किया जायेगा।
- SMILE के द्वारा उपलब्ध वीडियो के अलावा इन्टरनेट पर उपलब्ध उपयोगी शिक्षण सामग्री का चयन भी किया जायेगा। सामग्री चयन में कॉपीराइट का ध्यान रखा जायेगा।
- यू–ट्यूब चैनल, माईक्रोसॉफ्ट टीम एप, व्हाट्सएप के माध्यम से भी शिक्षण कार्य किया जा सकता है।
- शिक्षकों/विद्यालयों द्वारा यू–ट्यूब चैनल पर निर्मित पाठ्यक्रम से संबंधित शैक्षणिक सामग्री का वीडियो लिंक भी शिक्षण कार्य हेतु साझा किया जाये।
- प्रेषित सामग्री के संबंध में अभिभावकों से ऑनलाइन फीडबैक लिया जाये तथा प्रत्येक दिवस प्रेषित सामग्री के अनुसार बच्चों को गृहकार्य भी दिया जाये।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN) एवं विशेष शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों की आवश्यकतानुसार वीडियो तैयार कर कलस्टर अनुसार बच्चों को कक्षावार अध्यापन में स्वयं द्वारा निर्मित वीडियो या शैक्षणिक सामग्री का भी उपयोग किया सकेगा।

श्रेणीवार विद्यार्थियों हेतु विस्तृत मार्गदर्शन निम्नानुसार है :–

1. **श्रवणबाधित (HI) विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु :–**

- शिक्षण सामग्री व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से State Level Group से जिले को भिजवायी जायेगी एवं जिले द्वारा समस्त ब्लॉक को साझा की जायेगी।
- ब्लॉक स्तर पर तैयार किये गये कक्षावार ग्रुप में विषयवार पाठ्यक्रम सामग्री को प्रेषित किया जायेगा।
- प्रेषित वीडियो पाठ्यक्रम सामग्री का लिखित स्वरूप भी स्केन कर ग्रुप में प्रेषित किया जायेगा।
- अभिभावक/CWSN को प्रेषित वीडियो एवं शिक्षण सामग्री से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/विशेष शिक्षक एवं विषय अध्यापक द्वारा आपसी समन्वय से किया जायेगा।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/विशेष शिक्षकों (HI) द्वारा प्रतिदिवस कम से कम 5 विद्यार्थियों व अभिभावकों से कॉलिंग द्वारा संपर्क कर शिक्षण कार्य से लाभान्वित किया जायेगा।
- विषयवार साप्ताहिक कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा :–

साप्ताहिक कार्यक्रम :–

दिवस	कक्षा				
	1 एवं 2	3 से 5	6 से 8	9 एवं 10	11 एवं 12
सोमवार	हिन्दी	हिन्दी	हिन्दी	हिन्दी	हिन्दी अनिवार्य
मंगलवार	गणित	गणित	गणित	अंग्रेजी	अंग्रेजी अनिवार्य
बुधवार	अंग्रेजी	पर्यावरण	अंग्रेजी	गणित	ऐच्छिक 1
गुरूवार	हिन्दी	अंग्रेजी	विज्ञान	सामाजिक विज्ञान	ऐच्छिक 2
शुक्रवार	अंग्रेजी	गणित	सामाजिक विज्ञान	विज्ञान	ऐच्छिक 3
शनिवार	गृहकार्य	गृहकार्य	गृहकार्य	गृहकार्य	गृहकार्य

- कम से कम एक इकाई की संपूर्ण शैक्षणिक सामग्री एवं प्रश्नोत्तर को एक बार में साझा किया जायेगा।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/विशेष शिक्षक (HI) द्वारा साप्ताहिक कार्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाकर फोलोअप किया जायेगा।
- श्रवणबाधित विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वैबसाईट पर कक्षा 10वीं एवं 12वी हेतु पाठ्यक्रम (Question Bank) उपलब्ध है। शेष कक्षाओं हेतु निर्धारित प्रश्न बैंक एवं पाठ्यक्रम सामग्री तैयार कर उपलब्ध करवायी जायेगी।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/विशेष शिक्षक द्वारा व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से अधिकतम सात बालक–बालिकाओं का कक्षावार ग्रुप तैयार कर पाठ का अध्यापन कार्य किया जायेगा।
- विशेष शिक्षकों एवं संदर्भ व्यक्तियों (CWSN) द्वारा भी कलस्टर अनुसार विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुरूप वीडियो, पाठ्य सामग्री/पाठ योजना तैयार कर उपयोग किया जा सकेगा।
- श्रवण बाधित बालक–बालिकाओं से सम्प्रेषण हेतु की जाने वाली समस्त गतिविधियों (लिप रीडिंग, साईन लैंग्वेज) को शामिल करते हुए मोबाइल एवं लैपटॉप के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जायेगा।

शिक्षक समाचार राजस्थान

2. **बौद्धिक अक्षमता (ID) विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु :–**

- बौद्धिक अक्षमता वाले बालक–बालिका हेतु SRG द्वारा विषयवार, दैनिक कियाकलाप (ADL-Activities of daily living) इत्यादि हेतु शैक्षणिक सामग्री का निर्माण एवं चयन किया जायेगा।
- शिक्षण सामग्री व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से State Level Group से समस्त जिलों को भिजवायी जायेगी एवं जिलों द्वारा समस्त ब्लॉक को सांझा की जायेगी।
- ब्लॉक स्तर पर तैयार किये गये कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप में विषयवार पाठ्यक्रम सामग्री प्रेषित की जायेगी।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/विशेष शिक्षक (MR) द्वारा बौद्धिक अक्षमता वाले विद्यार्थियों एवं गृह आधारित शिक्षण (Home Based Education) वाले बालक–बालिकाओं के अभिभावकों को दैनिक कियाकलाप, थैरेपी, शैक्षिक संबंलन इत्यादि के लिए दूरभाष पर आमुखीकरण किया जाएगा और ऑनलाइन फीडबैक फार्म भरा जायेगा।

- संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/विशेष शिक्षक (MR) द्वारा गृह आधारित शिक्षण (Home Based Education) वाले बालक–बालिकाओं को उचित सोशल डिस्टेसिंग बनाए रखते हुए आवश्यकतानुसार Home visit कर संबलन प्रदान करेंगे।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/विशेष शिक्षकों (MR) द्वारा प्रतिदिवस कम से कम 5 विद्यार्थियों व अभिभावकों से कॉलिंग द्वारा संपर्क कर शिक्षण कार्य से लाभान्वित किया जायेगा।
- शिक्षण कार्य हेतु पाठ्यक्रम के प्रेषित वीडियो को विद्यार्थी के शिक्षण कार्य हेतु अभिभावक/भाई–बहिन से शिक्षण गतिविधियों को पूर्ण करने में सहयोग प्राप्त किया जायेगा।
  - ✓ वस्तुओं के माध्यम से।
  - ✓ खेलों के माध्यम से।
  - ✓ विभिन्न प्रकार की गतिविधि द्वारा (मिलान, करना, चुनना, अलग–अलग करना पहचानना, समायोजन)
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/विशेष शिक्षक (MR) द्वारा शैक्षणिक कार्य हेतु लेखन पठन का गृह कार्य दिया जाये तथा अभिभावकों द्वारा करवाये गये गृह कार्य का मूल्यांकन किया जाये।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/विशेष शिक्षक (MR) द्वारा बालक–बालिकाओं के त्रुटि सुधारात्मक कार्य वीडियो प्रेषित कर करवाया जायेगा। पुनः फीडबैक लेकर शैक्षिक उन्नयन का कार्य पूर्ण करवाया जायेगा।
- विषयवार साप्ताहिक कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा :–

साप्ताहिक कार्यक्रम :–

वार	कक्षा		
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक
सोमवार	Activities of daily living	Activities of daily living	Activities of daily living
मंगलवार	Activities of daily living	कार्यात्मक शिक्षण हिन्दी	कार्यात्मक शिक्षण हिन्दी
बुधवार	कार्यात्मक शिक्षण अंग्रेजी	कार्यात्मक शिक्षण अंग्रेजी	कार्यात्मक शिक्षण अंग्रेजी
गुरूवार	कार्यात्मक शिक्षण हिन्दी	कार्यात्मक शिक्षण गणित	कार्यात्मक शिक्षण गणित
शुक्रवार	कार्यात्मक शिक्षण गणित	कार्यात्मक शिक्षण गणित	कार्यात्मक शिक्षण विज्ञान
शनिवार	खेल (Out door/Indoor) /प्रगति जाँच	खेल/प्रगति जाँच	खेल/प्रगति जाँच

- कम से कम एक इकाई की संपूर्ण शैक्षणिक सामग्री एवं प्रश्नोत्तर को एक बार में साझा किया जायेगा।

*** कार्यात्मक शिक्षण :–**

a) स्वर–व्यंजन पहचान/पठन पाठन।
b) गिनती पहचान, जोड़–बाकी, गुणा–भाग
c) अंग्रेजी वर्णमाला पहचान एवं वाक्य।
d) समय, रूपये–पैसे का ज्ञान।
e) आकृति, कलर, वस्तुओं की पहचान।
f) सामान्य विज्ञान की अवधारणा।

3. दृष्टिबाधित (VI) विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु :-

- शिक्षण सामग्री व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से State Level Group से जिले को भिजवायी जायेगी एवं जिले द्वारा समस्त ब्लॉक को साझा की जायेगी।
- ब्लॉक स्तर पर तैयार किये गये कक्षावार ग्रुप में विषयवार पाठ्यक्रम सामग्री को प्रेषित किया जायेगा।
- अभिभावक / CWSN को प्रेषित वीडियो एवं शिक्षण सामग्री से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान संदर्भ व्यक्ति (CWSN) / विशेष शिक्षक (VI) एवं विषय अध्यापक द्वारा आपसी समन्वय से किया जायेगा।
- पूर्ण दृष्टिबाधित (Blindness) बालक–बालिकाओं को डेजी प्लेयर, मोबाइल फोन, एवं लैपटाप वितरित कर इसके सुगम उपयोग हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। विद्यार्थियों को इन उपकरणों के माध्यम से भी शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।
- पाठ्य पुस्तकों को आरएससीईआरटी, उदयपुर के माध्यम से Accessible Format में परिवर्तित किया गया है। नोडल एजेन्सी एवं State Resource Group द्वारा Accessible Textbooks को State Group से District Resource Group में साझा किया जायेगा।
- Accessible Textbooks को पढ़ने के लिए मोबाइल में Simple Reading/Kota Daisy Reader App इन्स्टॉल किया जायेगा। Talk Back user Guideline भी साझा की जायेगी।
- विद्यार्थियों को Simple Reading/Kota Daisy Reader App उपयोग करने में कठिनाई आने पर संदर्भ व्यक्तियों (CWSN) / विशेष शिक्षकों (VI) द्वारा समाधान किया जायेगा।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN) / विशेष शिक्षकों (VI) द्वारा प्रतिदिवस कम से कम 5 विद्यार्थियों व अभिभावकों से कॉलिंग द्वारा संपर्क कर शिक्षण कार्य से लाभान्वित किया जायेगा।
- स्माइल कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली समस्त सामग्री भी दृष्टिबाधित (VI) विद्यार्थियों हेतु निर्मित समूह में प्रेषित की जायेगी।
- SRG एवं नोडल एजेन्सी द्वारा पाठ्यपुस्तकों के महत्वपूर्ण एवं कठिन भाग को ऑडियो बनाकर ग्रुप में प्रेषित किया जायेगा।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN) / विशेष शिक्षक (VI) द्वारा ब्लॉक के समस्त दृष्टिबाधित बालक–बालिकाओं को ब्रेल डॉट्स पढ़ाया जायेगा।
- जमा पाठ्यक्रम (Plus Curriculum) यथा ब्रेल, अबेकस, टेलरफ्रेम इत्यादि के लिए एसआरजी द्वारा ऑडियो वीडियो तैयार कर ग्रुप में प्रेषित किए जाऐगें।
- साईटसेवर्स संस्था द्वारा झालावाड़ एवं उदयपुर जिले में किये जा रहे ऑनलाइन अध्यापन कार्य का भी अनुसरण किया जाये।
- विषयवार साप्ताहिक कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा :-

साप्ताहिक कार्यक्रम :-

वार	कक्षा				
	1 से 2 तक	3 से 5 तक	6 से 8 तक	9 से 10 तक	11 से 12 तक
सोमवार	हिन्दी	हिन्दी	हिन्दी	हिन्दी	हिन्दी अनिवार्य
मंगलवार	अंग्रेजी	अंग्रेजी	अंग्रेजी	अंग्रेजी	अंग्रेजी
बुधवार	गणित	पर्यावरण	सामाजिक विज्ञान	सामा0विज्ञान	हिन्दी साहित्य
गुरूवार	हिन्दी	गणित	गणित	विज्ञान	राज0 विज्ञान
शुक्रवार	गणित	पर्यावरण	विज्ञान	गणित	इतिहास
शनिवार	गृहकार्य	गृहकार्य	संस्कृत	संस्कृत / G.K.	गृहकार्य

- कम से कम एक इकाई की संपूर्ण शैक्षणिक सामग्री एवं प्रश्नोत्तर को एक बार में साझा किया जायेगा।

मॉनीटरिंग :–

विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु ऑनलाईन शिक्षण कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु निम्नानुसार उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाते है :–

1. **परिषद मुख्यालय के उत्तरदायित्व :–**
   - ✓ नोडल एजेन्सी/स्टेट रिसोर्स ग्रुप से दैनिक कार्यक्रमानुसार E-Content प्राप्त कर दैनिक रूप से जिला स्तरीय समूह में सामग्री साझा करना।
   - ✓ विद्यार्थी फीडबैक प्रपत्रों का विश्लेषण एवं कार्यक्रम में आवश्यकतानुसार सुधार करना।
2. **जिला कार्यालय के उत्तरदायित्व :–**
   - ✓ जिले के समस्त ब्लॉक/विद्यालयों के श्रेणीवार/कक्षावार समूहों को गठन।
   - ✓ राज्य स्तरीय ग्रुप से प्राप्त सामग्री का ब्लॉक स्तरीय ग्रुप में साझा करना।
   - ✓ शिक्षकों द्वारा फीडबैक प्रपत्र की पूर्ति।
3. **ब्लॉक कार्यालय के उत्तरदायित्व :–**
   - ✓ ब्लॉक के समस्त विद्यार्थियों को उनकी श्रेणी एवं कक्षा के अनुसार समूह में जोड़ना।
   - ✓ जिला कार्यालय से प्राप्त सामग्री को विद्यालय/कक्षावार समूह में साझा करना।
   - ✓ समस्त शिक्षकों से फीडबैक प्रपत्र की पूर्ति।

- **नोटः–गतिविधि संचालन के दौरान कोविड–19 के सन्दर्भ में चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी समस्त दिशा–निर्देशों का पूर्णता से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।**

14/08

(बाबू लाल मीणा)
राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा
एवं आयुक्त, स्कूल शिक्षा

शैक्षिक समाचार राजस्थान

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/20–21/13787 दिनांक :17/8/2020

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं आयुक्त, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राज0 स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
7. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
8. समस्त सीबीईओ एवं पीईईओ।
9. कार्यक्रम प्रबंधक, साईटसेवर्स, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 रश्मि शर्मा)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
www.rajsmsa.nic.in
फोन नं: 0141–2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प. / जय / आईईडी / 2020–21 / 13784 दिनांक 17/8/2020

दिशा–निर्देश
(सत्र 2020–21)

वातावरण निर्माण कार्यक्रम

प्रस्तावना :–

राज्य में समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को मुख्यधारा में समायोजन, समाज में इनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण, भेदभाव को रोकने, उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढ़ाकर उत्साहवर्धन करने, इनके अधिकारों एवं क्षमताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु **"वातावरण निर्माण कार्यक्रम"** का आयोजन समस्त जिला मुख्यालय पर दिनांक 2–3 दिसम्बर, 2020 को किया जाना है।

उद्देश्य :–

वातावरण निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नानुसार है :–

- CWSN के प्रति समाज में सकारात्मक सोच का निर्माण करना।
- CWSN का मुख्यधारा में समायोजन हेतु वातावरण तैयार करना।
- अन्तर्निहित योग्यताओं को बढ़ाकर, उनका उत्साहवर्द्धन करना।
- अधिकारों एवं क्षमताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।
- बेहतर समझ विकसित करके, उनके सम्मान व कल्याण हेतु समुदाय को प्रोत्साहित करना।

कार्यक्रम आयोजन कमेटी का गठन :–

कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु निम्नानुसार जिला मुख्यालय पर एक कमेटी गठित की जाएगी :–

- जिला कलक्टर के प्रतिनिधि – अध्यक्ष
- जिला समाज कल्याण अधिकारी – सदस्य
- जिला परियोजना समन्वयक, समसा – सदस्य
- अति0 जिला परियोजना समन्वयक, समसा – सदस्य सचिव
- सहायक परियोजना समन्वयक, समसा – सदस्य
- कार्यक्रम अधिकारी (आईईडी) – सदस्य
- जिले में निःशक्तता के क्षेत्र में कार्य करने वाले दो गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि – सदस्य

उक्त कमेटी द्वारा कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु समस्त व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाएंगी।

दो दिवसीय वातावरण निर्माण कार्यक्रम का आयोजन निम्नानुसार किया जायेगा :-

प्रथम दिवस (02.12.2020)

विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को सम्बलन एवं उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढ़ाकर उत्साहवर्द्धन करने के उद्देश्य से आयोज्य वातावरण निर्माण कार्यक्रम के प्रथम दिवस की समय सारणी निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	समय
1	रजिस्ट्रेशन	9.30 से 10.00 तक
2	उद्घाटन	10.00 से 10.30 तक
4	टीम गठन	10.30 से 11.30 तक
5	जलपान	11.30 से 11.45 तक
6	श्रवणबाधित,मानसिक विमन्दित एवं अस्थि विकलांग बालक–बालिकाओं की विभिन्न खेल प्रतियोगिताएँ	11.45 से 1.30 तक
7	भोजन	1.30 से 2.30 तक
8	दृष्टिबाधित बालक–बालिकाओं के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएँ	2.30 से 4.00 तक
9	जलपान	4.00 से 4.15 तक
10	समस्त श्रेणियों के विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के लिए निबंध लेखन, क्वीज प्रतियोगिता, पोस्टर निर्माण, पेन्टिंग आदि प्रतियोगिताएँ	4.15 से 6.00 तक

1. प्रथम दिवस गतिविधि विवरण :–

वातावरण निर्माण कार्यक्रम के दौरान प्रथम दिवस में निम्नानुसार कीडा प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेगी :–

- **मानसिक विमंदित बालक–बालिकाओं हेतु :–**

  (अ) सामूहिक गतिविधियाँ

  ✓ रूमाल झपट्टा, सामूहिक नृत्य, कोलाज वर्क, चित्रकला

  (ब) एकल गतिविधियाँ

  ✓ तेज चाल, गुब्बारा फोड, एकल नृत्य, विचित्र वेशभूषा

- **श्रवण बाधित बालक–बालिकाओं हेतु :–**

  (अ) सामूहिक गतिविधियाँ

  ✓ खो–खो, समूह नृत्य, रस्सा कशी, जलेबी दौड, चम्मच दौड़

  (ब) एकल गतिविधियाँ

  ✓ दौड – 50 मीटर एवं 100 मीटर, पोस्टर प्रतियोगिता, एकल नृत्य, विचित्र वेशभूषा

- **अस्थि विकलांग बालक–बालिकाओं हेतु :–**

  (अ) सामूहिक गतिविधियाँ

  ✓ रूमाल झपट्टा, समूह गान, कुर्सी दौड, ब्लॉक जमाना

  (ब) एकल गतिविधियाँ

  ✓ ट्राई साईकिल दौड़, बैसाखी दौड़, पोस्टर प्रतियोगिता, एकल गायन

- **दृष्टिबाधित बालक–बालिकाओं हेतु :–**

  (अ) सामूहिक गतिविधियाँ

  ✓ रस्साकशी, समूह गायन,

  (ब) एकल गतिविधियाँ

  ✓ तेज चाल – 50 मीटर, दिशा ज्ञान, एकल गायन,

शैक्षिक समाचार राजस्थान

(स) अन्य गतिविधियाँ :–

- **ब्रेल लेखन प्रतियोगिता** :–यह प्रतियोगिता सिर्फ दृष्टिबाधित बालक–बालिकाओं हेतु आयोजित की जायेगी। उक्त प्रतियोगिता में ब्रेल लेखन हेतु बालक–बालिकाओं को कक्षा के स्तर के अनुसार पाठ्य पुस्तकों में से वाक्य/पैरा का डिक्टेशन देते हुए इन्हे ब्रेललिपि में लिखवाया जायेगा। तत्पश्चात् उक्त बालक–बालिकाओं को ही उनके द्वारा लिखे गये वाक्य/पैरा को पढ़वाया जायेगा तथा दिये गये डिक्टेशन से वाक्य/पैरा का मिलान करते हुए उक्त में पायी गई त्रुटियों के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान का चयन किया जायेगा।
- **ब्रेल पठन प्रतियोगिता** :–ब्रेल पठन प्रतियोगिता हेतु पूर्ण दृष्टिबाधित बालक–बालिकाओं को कक्षानुसार ब्रेल पुस्तकों के माध्यम से पठन करवाया जायेगा तथा बालक–बालिका द्वारा पठन किये गये विषय का प्रिन्ट वाली पाठ्य पुस्तकों से मिलान करते हुए त्रुटियों के आधार पर विजेता का चयन निर्णायक मण्डल द्वारा किया जायेगा।
- **स्पर्श कौशल(*Tactile Skill*):-** संबंधी प्रतियोगिता :–इस प्रतियोगिता के अन्तर्गत पूर्ण दृष्टिबाधित बालक–बालिकाओं हेतु निम्नांकित प्रतियोगिताएं आयोजित करवायी जायेंगी –
  - **करेन्सी नोट एवं सिक्कों की पहचान** :– उक्त प्रतियोगिता में पूर्ण दृष्टिबाधित बालक–बालिकाओं को विभिन्न करेन्सी नोट एवं सिक्कों को स्पर्श कर पहचानने हेतु दिया जायेगा।
  - **विभिन्न प्रकार के एवं Texture आकार की वस्तुओं की पहचान**– बालक–बालिकाओं को विभिन्न आकार जैसे– आयत, वर्ग, त्रिभुजकार इत्यादि को स्पर्श कर पहचानने हेतु दिया जायेगा।
- **घ्राण कौशल *(Smelling Skill)*** संबंधी प्रतियोगिता :–इस प्रतियोगिता के अन्तर्गत निम्नांकित प्रतियोगिताएं आयोजित करवायी जायेंगी
  - **विभिन्न फलों/फूलों की पहचान**–उक्त प्रतियोगिता में पूर्ण दृष्टिबाधित बालक–बालिकाओं को विभिन्न प्रकार के फल/फूलों इत्यादि को सूंघकर पहचानने हेतु दिया जायेगा।
  - **विभिन्न मसालों की पहचान**–उक्त प्रतियोगिता में पूर्ण दृष्टिबाधित बालक–बालिकाओं को विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे–हल्दी, धनिया, लौंग, हींग इत्यादि को सूंघकर पहचानने हेतु दिया जायेगा।
- **श्रवण कौशल *(Auditory Skill)*** संबंधी प्रतियोगिता :–इस प्रतियोगिता के अन्तर्गत पूर्ण दृष्टिबाधित बालक–बालिकाओं हेतु निम्नांकित प्रतियोगिताएं आयोजित करवायी जायेंगी –
  - **आवाज द्वारा सहपाठियों की पहचान**–उक्त प्रतियोगिता में बालक–बालिकाओं से उनके विद्यालय में अध्ययनरत सहपाठियों की पहचान उनकी आवाज के द्वारा करवायी जायेगी।
  - **विभिन्न प्रकार के आवाजों की पहचान**–उक्त प्रतियोगिता में बालक–बालिकाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के आवाजों जैसे– विभिन्न प्रकार की घंटियों यथा– साईकिल की घंटी, ऑफिस की घंटी, मन्दिर की घंटी इत्यादि की आवाज की पहचान करवायी जायेगी।

अन्य गतिविधियाँ :–

विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु निबंध लेखन, क्वीज प्रतियोगिता, पोस्टर निर्माण एवं पेन्टिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाना है।

प्रतियोगिता कार्यक्रम में निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाये :–

- स्पर्द्धा में यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रतिस्पर्द्धा में दोष (Disability) व आयु की लगभग समानता हो। उक्त प्रतियोगिताओं के आयोजन में आयु अनुसार बालक एवं बालिकाओं के अलग–अलग समूह बनाये जावेंगे, जिसमें आवश्यकतानुसार 10 प्रतिशत सामान्य बालक–बालिकाओं की भागीदारी भी की जा सकेगी। प्रतियोगिता संबंधी गतिविधियों में इन विशेष आवश्यकता वाले

बालक–बालिकाओं हेतु सामान्य बालक बालिकाओं के साथ सहयोगात्मक एवं सकारात्मक तुलना का अवसर प्रदान कर इनमें विश्वास जाग्रत किया जा सके।

- प्रतियोगिताओं के संचालन एवं निर्णय हेतु अधिकतम दो शारीरिक शिक्षकों को बुलाया जा सकेगा एवं आवश्यकतानुसार संदर्भ शिक्षकों की सहायता ली जा सकेगी। इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
- प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बालक–बालिकाओं के चयन हेतु निर्णायक मण्डल का गठन किया जाये, जिसमें विषय के विशेषज्ञ आवश्यक रूप से सम्मिलित हो।
- प्रतियोगिता के प्रथम एवं द्वितीय, तृतीय विजेताओं एवं अन्य सभी संभागियों को सांत्वना पुरस्कार एवं प्रमाण पत्रों का वितरण किया जावेगा।
- वातावरण निर्माण कार्यक्रम का आयोजन यथा संभव जिला स्तर पर स्थापित संदर्भ केन्द्र वाले विद्यालय में किया जावे।
- संभागियों के रात्रि विश्राम हेतु सुरक्षित एवं उपयुक्त स्थान की व्यवस्था की जावेगी।
- सभी कार्मिकों का रात्रि विश्राम आवश्यक रूप से बालक–बालिकाओं के साथ ही रहेगा।
- बालक–बालिकाओं को रात्रि विश्राम की पृथक्–पृथक् व्यवस्था की जायेगी। बालिकाओं के साथ महिला शिक्षिका का होना अनिवार्य होगा।

द्वितीय दिवस (03.12.2020)

कार्यक्रम के आयोजन हेतु द्वितीय दिवस समय सारणी निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	समय
1	रैली आयोजन	9.30 से 11.30 तक
2	जलपान	11.30 से 11.45 तक
4	प्रदर्शनी का उद्घाटन, अवलोकन एवं वृक्षारोपण	11.45 से 1.30 तक
5	भोजन	1.30 से 2.30 तक
6	अनुभव शेयर एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन	2.30 से 4.00 तक
7	उद्बोधन	4.00 से 4.30 तक
8	पुरस्कार वितरण	4.30 से 5.00 तक
9	धन्यवाद ज्ञापन	5.30 बजे

2. द्वितीय दिवस गतिविधि विवरण :–

- कार्यक्रम का प्रारंभ रैली से किया जाएगा। रैली में विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के संबंध में जागरूकता लाने, समग्र शिक्षा अभियान की योजनाओं की जानकारी से संबंधित झाँकी, फ्लैक्स, बैनर एवं नारे लिखी हुई तख्तियों का प्रदर्शन किया जाएगा। रैली को जिला मुख्यालय के प्रमुख मार्गो से गुजारा जाएगा। रैली का समापन आयोजन स्थल (जहाँ प्रदर्शनी एवं अन्य गतिविधियाँ आयोजित की जाएगी) पर किया जायेगा।
- कार्यक्रम आयोजन स्थल पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में समावेशित शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं यथा संदर्भ कक्ष, ब्रेलबुक्स, लार्ज प्रिन्ट बुक्स, ब्रेलकिट, विभिन्न अंग–उपकरण, सर्जरी के फोटोग्राफ्स आदि की स्टॉल लगाकर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ–साथ अन्य समस्त गतिविधियों की जानकारियाँ भी प्रदर्शित की जाएगी।
- कार्यक्रम आयोजन के दौरान वृक्षारोपण कार्य भी किया जायेगा।
- जिले में दिव्यांगता के साथ सफलतापूर्वक जीवन यापन करने वाले एक या दो सफल व्यक्तियों को मंच पर बुलाया जाकर इनके सफलता के अनुभव शेयर किये जाएंगे।

- होमबेस्ड एज्यूकेशन के ऐसे बच्चे जिन्हें मुख्यधारा से जोडा गया है तथा राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत अन्य विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को मंच पर बुलाया जाकर इनके अनुभव शेयर किये जाएंगे।
- कार्यक्रम में भाग लेने हेतु जिले के सभी ब्लॉक से विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं, इनके सहपाठियों (10 प्रतिशत सामान्य बालक–बालिकाओं), इनके अभिभावकों एवं विद्यालय के शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा।

वित्तीय मानदण्ड –

- **कार्यक्रम हेतु प्रति जिला अधिकतम ₹1,50,000/– (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) का प्रावधान है।**
- **दो दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन पर प्रति जिला अधिकतम ₹1,50,000/– (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) का व्यय 'Environment Building programme" उपमद के अन्तर्गत निम्नानुसार किया जा सकेगा :–**

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	दर	राशि (मदवार अधिकतम राशि)
1	रैली एवं झाँकी के आयोजन हेतु बैनर, पोस्टर, वाहन व्यवस्था इत्यादि	एक मुश्त	8000
2	संभागियों हेतु आवास एवं बिस्तर व्यवस्था।	₹40 प्रति संभागी	12000
3	संभागियों हेतु चाय, 2 नाश्ता एवं 3 भोजन (दो दिवस हेतु)	₹200 प्रति संभागी	70000
4	टेन्ट, माईक एवं पांडाल व्यवस्था	एक मुश्त	14000
5	पुरस्कार/प्रतीक चिन्ह (समस्त)	एक मुश्त	7500
6	स्टेशनरी एवं कन्टींजेन्सी	एक मुश्त	1000
7	फोटोग्राफी/वीडियो रिकोर्डिंग एवं प्रतिवेदन हेतु रंगीन बुकलेट का मुद्रण (न्यूनतम 20–25 पेज)	एक मुश्त	2500
9	अभिभावक, बच्चों एवं शिक्षकों हेतु आने–जाने का किराया	वास्तविक	35000
		योग	**150000**

- अपरिहार्य स्थिति में उपरोक्त उपमदों में आवंटित राशि में किसी उपमद में राशि कम पड़ने पर किसी अन्य उमपद में आवंटित राशि की अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा में ही समायोजन किया जा सकेगा तथा **कुल व्यय किसी भी स्थिति में ₹1,50,000/(एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) से अधिक नही किया जायेगा। आयोजन हेतु किये गये समस्त व्यय का भुगतान चैक द्वारा अथवा बैंक खाते में किया जायेगा। नकद राशि के रूप में किसी तरह का भुगतान नहीं किया जायेगा।** भुगतान हेतु जारी किये गये समस्त चैक तथा खातों में किये गये समस्त राशि हस्तान्तरण का रिकॉर्ड संधारित किया जायेगा।
- **व्यय नियमानुसार निविदा प्रकिया अपनाकर किया जायेगा।**
- कार्यक्रम समाप्ति उपरान्त व्यय समायोजन 15 दिवस में किया जाकर व्यय प्रविष्टि दिसम्बर माह की एमपीआर में करके PMS Portal पर ही आवश्यक रूप से की जाये।
- कार्यक्रम का आयोजन किसी बड़े राउमावि/संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय में किया जा सकता है जहां विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध हो।

- जिले मे अन्य सरकारी विभागों द्वारा यदि दिव्यांगता के क्षेत्र में कोई पुरस्कार दिया जाता है तो प्रयास किया जाए कि वह इसी कार्यक्रम के दौरान प्रदान किये जाएँ एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाए।
- यदि जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो दोनों समारोह आपसी समन्वय द्वारा एक ही स्थान पर आयोजित किये जाने के प्रयास किये जावे।
- कार्यक्रम में भामाशाहों/दान–दाताओं का सहयोग लिया जाकर प्रभावी आयोजन किया जा सकता है।
- कार्यक्रम के प्रभावी आयोजन हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार के क्रम में विभिन्न संचार माध्यमों जैसे– एफएम रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, व्हाट्सएप ग्रुप, समाचार पत्रों आदि का सहयोग लिया जा सकता है।
- प्रतिवेदन बुकलैट कार्यक्रम आयोजन के उपरान्त 7 दिवस में परिषद् मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

➢ **लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :–**

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, एमएचआरडी की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रकियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

नोटः–गतिविधि संचालन के दौरान कोविड–19 के सन्दर्भ में चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी समस्त दिशा–निर्देशों का पूर्णता से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(बाबू लाल मीणा)
राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त
आयुक्त, रास्कूशिप एवं
आयुक्त, स्कूल शिक्षा

शैक्षिक समाचार राजस्थान

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/20–21/13784
दिनांक 17/8/2020

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्त नियत्रंक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
11. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 रहिम शर्मा)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक

कोरोना के बचाव के उपाय अपनायें

बार बार
हाथ धोयें

मास्क पहन
कर बाहर जायें

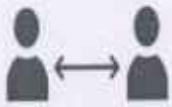

2 गज की दूरी
बनायें रखें

शैक्षिक समाचार राजस्थान

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
www.rajsmsa.nic.in
फोन नं: 0141–2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प. / जय / आईईडी / 2020–21 / 13779 दिनांक : 17/8/2020

दिशा–निर्देश

(सत्र 2020–21)

रीडर भत्ता (Reader Allowance)

अवधारणा एवं उद्देश्य :–

राज्य में समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का मुख्यधारा में समायोजन, उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढाकर उत्साहवर्धन करने, शैक्षिक एवं थैरेपिक संबलन प्रदान करने, भेदभाव को दूर कर समाज में इनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण तथा अधिकारों एवं क्षमताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाता है। वार्षिक कार्य योजना सत्र 2020–21 के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत दृष्टिदोष से प्रभावित बालक–बालिकाओं को रीडर भत्ता (Reader Allowance) देय होता है। सत्र 2020–21 में रीडर भत्ता (Reader Allowance) उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जानी है:–

- **श्रेणी :–** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों की विकलांगता में से दृष्टिदोष (Blindness and Low Vision) से प्रभावित राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं को रीडर भत्ता (Reader Allowance) देय है।
- **पात्रता :–** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित विकलांगता में से दृष्टिबाधित (Blindness and Low Vision) श्रेणी के 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से प्रभावित बालक–बालिकाओं को जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उन्हें रीडर भत्ता (Reader Allowance) देय होगा।
- **अवधि :–** 10 माह के लिए
- **राशि :–** ₹250 / –प्रति माह
- रीडर भत्ता (Reader Allowance) प्रदान किये जाने हेतु समस्त जिला परियोजना समन्वयक माह अगस्त, 2020 में जिले के समस्त ब्लॉक के सीबीईओ के माध्यम से पीईईओ / संस्था प्रधानों से संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे।
- प्राप्त आवेदन पत्रों मे से चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाएगी।

1.	डीपीसी	–	अध्यक्ष
2.	एडीपीसी	–	सदस्य सचिव
3.	एपीसी / पीओ (समावेशित शिक्षा)	–	सदस्य
4.	सहायक लेखाधिकारी	–	सदस्य
5.	संदर्भ व्यक्ति (CWSN)	–	सदस्य

- उक्त कमेटी समस्त आवेदन पत्रों की जाँच करते हुए समस्त पात्र बालक–बालिकाओं का चयन कर रीडर भत्ता (Reader Allowance) जारी किए जाने की अनुशंषा करेगी।
- **समय पर राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत चयनित बालक–बालिकाओं हेतु निर्धारित राशि जिला परियोजना समन्वयक द्वारा निम्नानुसार संबंधित SMC/SDMC को विस्तृत व स्पष्ट निर्देशों के साथ अग्रिम भिजवानी होगी, जिससे बालक–बालिकाओं को प्रतिमाह राशि प्राप्त हो सके।**

माह का नाम जिसमें एसएमसी/एसडीएमसी को अग्रिम राशि जारी करनी है।	माह जिनके लिए एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा परिवहन भत्ते का भुगतान किया जाना है।
सितम्बर, 2020	कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माह निर्धारण किया जायेगा।

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण) अथवा अन्य किसी योजना से जिन बालक–बालिकाओं को रीडर भत्ता (Reader Allowance) की राशि प्राप्त हो रही है, उन बालक–बालिकाओं को यह राशि देय नहीं होगी।
- **जिलों को आवंटित लक्ष्यानुसार उक्त राशि का भुगतान जिले के समावेशित शिक्षा की उपमद "Reader Allowance " में आंवटित राशि में से व्यय किया जायेगा।**
- उक्त भत्तों का भुगतान संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा बालक–बालिकाओं की उपस्थिति प्रमाणित करने के पश्चात् किया जाएगा जिसकी सूचना सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित सीबीईओ को तथा सम्बन्धित सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी एवं एडीपीसी को प्रेषित की जायेगी।

विशेष बिन्दु :-

- **जिला स्तर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला कलक्टर, जिला परिषद्,, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग आदि विभागों के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये जिससे अधिकाधिक पात्र बालिका–बालिकाओं को लाभ मिल सके।**
- जिले के पात्र सभी विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को रीडर भत्ता (Reader Allowance) दिया जाना है परन्तु, यदि बजट की अनुपलब्धता के कारण सभी पात्र बालक–बालिकाओं को भत्ता दिया जाना संभव नही हो पाता है तो समावेशित शिक्षा की किसी भी गतिविधि में से बचत की राशि से इन्हें भत्ता दिये जाने हेतु Re-appropriation के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक अविलम्ब परिषद् कार्यालय के समावेशित शिक्षा अनुभाग को भिजवाएं।
- रीडर भत्ता (Reader Allowance) मद में जिलें को आंवटित राशि की सीमा में भौतिक लक्ष्य से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा सकेगा। वित्तीय लक्ष्यों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
- रीडर भत्ता (Reader Allowance) का भुगतान परिपत्र में दर्शाये अनुसार प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति आदि प्रमाणित कर निर्धारित प्रकिया सम्पादित करते हुए संबंधित बालक–बालिका के बैंक खाते में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा जमा करवाया जायेगा।
- नवीन पात्र विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओ के जीरो बैलेंस बैंक खाते सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खुलवाये जायेंगे तथा सम्बंधित बालक–बालिकाओं के **बैंक खाते में** रीडर भत्ता (Reader Allowance) जमा कराने के उपरान्त उसी माह में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा अनिवार्य रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित पीईईओ/सीबीईओ तथा सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी को प्रेषित किया जायेगा।

- समस्त व्यवस्था पात्र बालक–बालिका/संरक्षकों की सहमति से व एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों को सूचित कर पूर्ण पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराई जायेगी।
- **पात्र CWSN बालक–बालिकाओं की तथा उनको देय रीडर भत्ता (Reader Allowance) की सूचना पीएमएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट करें। बालक–बालिकाओं की सूचना अपडेट करने के बाद रीडर भत्ता (Reader Allowance) वाला ऑप्शन भी आवश्यक रूप से क्लिक करें अन्यथा दिये जाने वाले रीडर भत्ता (Reader Allowance) की प्रगति पोर्टल पर प्रदर्शित नही होगी।**

➢ **लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :–**

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, एमएचआरडी की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रकियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

- **नोटः–गतिविधि संचालन के दौरान कोविड–19 के सन्दर्भ में चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी समस्त दिशा–निर्देशों का पूर्णता से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।**

(बाबू लाल मीणा)
राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त
आयुक्त, रास्कूशिप एवं
आयुक्त, स्कूल शिक्षा

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/20–21/13779 दिनांक 17/8/2020

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्त नियत्रंक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
11. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 रहिम शर्मा)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक

शिक्षक समाचार राजस्थान

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

रीडर भत्ता (Reader Allowance) हेतु आवेदन पत्र

फोटो

1. नाम बालक / बालिका.....
2. पिता का नाम.....
3. जन्म तिथि.....कक्षा.....
4. स्थानीय पता.....
5. एस.आर. न0.....दोष का प्रकार एवं प्रतिशत.....
6. नोडल.....ब्लॉक.....
7. विद्यालय.....डाईस कोड.....
8. घर से विद्यालय की दूरी.....
9. आधार कार्ड नम्बर.....
10. दिव्यांगता प्रमाण पत्र.....
11. खाता संख्या.....IFSC Code.....
12. बैंक का नाम.....
13. क्या बालक–बालिका का आधार कार्ड बैंक खाते से जुडा हुआ है.....

शैक्षिक समाचार राजस्थान

हस्ताक्षर अभिभावक

ह0 छात्र / छात्रा

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है एवं बालक/बालिका..... उक्त विद्यालय की कक्षा.....में अध्ययनरत है तथा उक्त बालक/बालिका को रीडर भत्ते हेतु ₹.....प्रतिमाह भत्ते प्रदान किए जाने की अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य
मोहर सहित

कार्यालय उपयोग हेतु

उक्त समस्त तथ्यों की जांच के पश्चात् छात्र/छात्रा.....

पुत्र/पुत्री श्री.....विद्यालय.....को

रीडर भत्ता ₹ ..... प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर

नाम पद सहित.....

शैक्षिक समाचार राजस्थान

6

कोरोना के बचाव के उपाय अपनायें

बार बार हाथ धोयें	मास्क पहन कर बाहर जायें	2 गज की दूरी बनायें रखें

शैक्षिक समाचार राजस्थान

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
www.rajsmsa.nic.in
फोन नं: 0141–2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प. / जय / आईईडी / 2020–21 / 13786 दिनांक 17/8/2020

दिशा–निर्देश

(सत्र 2020–21)

विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु संदर्भ कक्ष का संचालन

प्रस्तावना :–

राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को आवश्यक शैक्षणिक एवं थैरेपिक सम्बलन प्रदान करने एवं उनकी अन्तर्निहित क्षमताओं के विकास हेतु राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक सन्दर्भ कक्ष विकसित किया गया है। भारतीय पुनर्वास परिषद् से पंजीकृत संदर्भ व्यक्तियों (CWSN) द्वारा इन संदर्भ कक्षों पर विभिन्न दोषों से प्रभावित विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को शैक्षिक संबंलन प्रदान किया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाएं संदर्भ कक्ष पर उपलब्ध विभिन्न उपकरणों की सहायता से थैरेपिक संबंलन भी प्राप्त करते है। राज्य के सभी 301 ब्लॉक्स पर एक–एक संदर्भ कक्ष संचालित है।

उद्देश्य :–

- संदर्भ कक्ष पर विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का स्कीनिंग, असेसमेन्ट एवं संबंलन प्रदान करना।
- मेडिकल कम फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प में चिकित्सक / विशेषज्ञों की अनुशंषा अनुसार चयनित बालक–बालिकाओं को सन्दर्भ कक्ष में प्राथमिकता के आधार पर बुलाकर सम्बलन प्रदान करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को संदर्भ कक्ष पर आवश्यक शैक्षिक / थैरेपिक सम्बलन प्रदान करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं की विविध आवश्यकताओं के प्रति बेहतर समझ विकसित करने के लिए उनके अभिभावकों हेतु परामर्शदात्री कार्यक्रम का आयोजन करना।

संदर्भ व्यक्ति (CWSN) का दायित्व :–

- संदर्भ व्यक्ति (CWSN) द्वारा ब्लॉक के समस्त विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का चिन्हिकरण कर उनका विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चत करने हेतु कार्य करना।
- ब्लॉक के समस्त संस्थाप्रधानों से समन्वय स्थापित कर समस्त नामांकित विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं की **UDISE+** एवं **PMS Portal** पर शत–प्रतिशत प्रविष्टि हेतु कार्य करना।
- ब्लॉक के समस्त विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का चिन्हिकरण, नामांकन एवं डाइस डेटा फीडिंग एवं PMS Portal पर वन्हित विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का रिकोर्ड संधारण करना।

- मेडिकल कम फक्शनल असेसमैन्ट कैम्प के दौरान विशेषज्ञों के सहयोग से बालक–बालिकाओं हेतु Therapy/ Intervention Programme का निर्धारण।
- संदर्भ कक्ष में बालक–बालिकाओं के संबलन हेतु मासिक कलेण्डर तैयार करना।
- सन्दर्भ कक्ष में बालक–बालिकाओं को शैक्षणिक एवं थैरेपिक सम्बलन प्रदान करना।
- सन्दर्भ कक्ष में उपलब्ध प्रत्येक उपकरण का सही रख–रखाव एवं कार्यशीलता सुनिश्चित करना।
- सन्दर्भ कक्ष में बुलाए जा रहे प्रत्येक बालक–बालिकाओं की पृथक्–पृथक् फाईल तैयार कर पूर्ण रिकार्ड संधारित करना।
- समावेशी शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों के संचालन में सहयोग करना।

संदर्भ व्यक्ति (CWSN) की साप्ताहिक कार्ययोजना :–

संदर्भ व्यक्ति (CWSN)	सोमवार, मंगलवार, बुधवार	गुरूवार, शुक्रवार, शनिवार
संदर्भ व्यक्ति (CWSN)-I	विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को शैक्षिक एवं थैरेपिक संबंलन प्रदान करने एवं CWSN Data अपडेशन इत्यादि कार्य हेतु संदर्भ कक्ष पर उपस्थित रहेंगे।	प्रत्येक दिवस ब्लॉक के कम से कम दो विद्यालयों की विजिट कर CWSN को शैक्षिक एवं थैरेपिक संबंलन एवं होमबेस्ड एज्यूकेशन के CWSN को संबंलन प्रदान करना। साथ ही UDISE+/PMS Portal पर CWSN Data अपडेशन कार्य में विद्यालयों को सहयोग करेंगे।
संदर्भ व्यक्ति (CWSN)-II	प्रत्येक दिवस ब्लॉक के कम से कम दो विद्यालयों की विजिट कर CWSN को शैक्षिक एवं थैरेपिक संबंलन एवं होमबेस्ड एज्यूकेशन के CWSN को संबंलन प्रदान करना। साथ ही UDISE+/PMS Portal पर CWSN Data अपडेशन कार्य में विद्यालयों को सहयोग करेंगे।	विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को शैक्षिक एवं थैरेपिक संबंलन प्रदान करने एवं CWSN Data अपडेशन इत्यादि कार्य हेतु संदर्भ कक्ष पर उपस्थित रहेंगे।

संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य का दायित्व :–

- संदर्भ कक्ष पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CWSN) से अग्रिम मासिक कार्ययोजना प्राप्त करना।
- संदर्भ कक्ष का समय पर खुलना, संदर्भ व्यक्ति (CWSN) की निर्धारित दिवस में उपलब्धता एवं सन्दर्भ कक्ष के प्रभावी उपयोग हेतु कार्य योजना की कियान्विति सुनिश्चित करना।
- समावेशी शिक्षा की गतिविधियों के संचालन में आवश्यकता होने पर संदर्भ व्यक्ति (CWSN) को विद्यालय में पदस्थापित विशेष शिक्षक (तृतीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी)/सामान्य शिक्षक अथवा अन्य कार्मिक का सहयोग उपलब्ध करवाना।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN) की संदर्भ कक्ष पर उपस्थिति एवं अन्य विद्यालयों में वास्तविक यात्रा कार्यकम का प्रमाणीकरण करना।
- संदर्भ कक्ष में संबंलन हेतु आने वाले विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के यात्रा व्यय का भुगतान करना।
- संदर्भ कक्ष में उपलब्ध सभी उपकरणों के रख–रखाव एवं कियाशीलता को सुनिश्चित करना।

सीबीईओ का दायित्व :-

- संदर्भ कक्ष के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करना।
- संदर्भ कक्ष विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य से संदर्भ कक्ष संचालन की अग्रिम मासिक कार्ययोजना प्राप्त करना।
- प्रत्येक माह में कम से कम दो बार संदर्भ कक्ष का अवलोकन कर मासिक कार्ययोजना कियान्विति को सुनिश्चित करना।
- ब्लॉक के समस्त विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं का चिन्हिकरण, उनका विद्यालयों में नामांकन एवं **UDISE** व **PMS Portal** पर शत-प्रतिशत प्रविष्टि सुनिश्चित करना।
- पीईईओ के अधीन कार्यरत विशेष शिक्षक (तृतीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी) को विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के चिन्हिकरण, नामांकन, असेसमेन्ट कैम्प में उपस्थिति, पेरेन्ट काउसंलिंग एवं समावेशी शिक्षा की अन्य गतिविधियों में संदर्भ कक्ष पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CWSN) को सहयोग करने हेतु आदेशित करना।
- पीईईओ के अधीन कार्यरत विशेष शिक्षकों (तृतीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी) को पीईईओ क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त CWSN को शैक्षिक संबंलन प्रदान करने हेतु संबंधित पीईईओ को निर्देशित करना।
- ब्लॉक स्तर पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (IED) को समावेशी शिक्षा की समस्त गतिविधियों के प्रभावी संचालन हेतु निर्देशित करना।
- ब्लॉक स्तर पर आयोज्य समीक्षा बैठक में समावेशी शिक्षा की प्रगति पर चर्चा करना।
- संदर्भ कक्ष विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्रेषित संदर्भ व्यक्ति (CWSN) की उपस्थिति, विजिट रिपोर्ट इत्यादि को प्रतिहस्ताक्षरित करना।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN) के प्रस्तावित एवं वास्तविक यात्रा कार्यक्रम की प्रतियाँ रखना।

पीईईओ का दायित्व :-

- संबंधित पीईईओ क्षेत्र के समस्त विशेष आवश्यकता बालक-बालिकाओं का चिन्हिकरण कर विद्यालयों में नामांकन एवं नामांकित CWSN का UDISE एवं PMS Portal पर Entry की सुनिश्चित करना।
- पीईईओ क्षेत्र में कार्यरत विशेष शिक्षक (तृतीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी) को विशेष आवश्यकता बालक-बालिकाओं का चिन्हिकरण कर विद्यालयों में नामांकन एवं नामांकित CWSN का UDISE एवं PMS Portal पर Entry एवं अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को शैक्षिक संबंलन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करना।
- संबंधित पीईईओ क्षेत्र में कार्यरत विशेष शिक्षक (तृतीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी) को उक्त कार्य के संपादन में संदर्भ व्यक्ति (CWSN) का पूर्ण सहयोग प्राप्त कर समन्वय के साथ कार्य संपादित करने हेतु निर्देशित करेंगे।
- ब्लॉक/जिला स्तर पर समावेशी शिक्षा हेतु समय-समय पर आयोजित विभिन्न गतिविधियों के सफल संचालन में भी विशेष शिक्षकों (तृतीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी) को कार्यालय समसा ब्लॉक/जिला के आदेशानुसार सहयोग करने हेतु निर्देशित करेंगे।

वित्तीय प्रावधान:-

- संदर्भ कक्ष पर आने वाले प्रत्येक विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिका (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के) को न्यूनतम वास्तविक किराए का भुगतान संदर्भ व्यक्ति (CWSN) की अनुशंषा पर संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय की SMC/SDMC द्वारा उसी दिवस अनिवार्यतः किया जावेगा। इस हेतु समस्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय की SMC/SDMC को ₹ 20,000/- की अग्रिम राशि समावेशित शिक्षा के **"Providing Aids and Appliances" में से** जारी करेंगे।

- सत्र में अधिकतम ₹ 20,000/–की राशि निम्नानुसार व्यय की जा सकेगी :–

क्र.सं.	कार्य	राशि
1	संदर्भ कक्ष पर आने वाले CWSN का वास्तविक किराया	₹ 10000
2	संदर्भ कक्ष पर उपलब्ध विभिन्न उपकरणों का रख–रखाव एवं मरम्मत कार्य, संदर्भ कक्ष रंग रोगन, शिक्षण सहायक सामग्री, स्टेशनरी इत्यादि।	₹ 10000
	योग	₹ 20000

नोट :–उपरोक्त उपमद में से आवश्यकतानुसार दूसरे उपमद की बचत से व्यय किया जा सकता है।

संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय की SMC/SDMC द्वारा संदर्भ कक्ष हेतु आवंटित राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिसम्बर एवं मार्च माह में प्राप्त किया जाना आवश्यक है। यू.सी. जारी न करने पर SMC/SDMC के सचिव व संदर्भ व्यक्ति (CWSN) के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय की SMC/SDMC को जारी राशि एवं व्यय संबंधित समस्त रिकॉर्ड की जाँच समय–समय की जायेगी। व्यय की गई राशि के उपयोग में अनियमितता पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अन्य उल्लेखनीय बिन्दु :–

- **संदर्भ कक्ष का समय शिविरा पंचागानुसार रहेगा।**
- संदर्भ कक्ष में संदर्भ कक्ष के उपकरणों के अलावा विद्यालय की अन्य कोई सामग्री यथा – पाठ्यपुस्तकें, वर्कबुक्स, मिड डे मील का सामान आदि नहीं रखा जायेगा। संदर्भ कक्ष को विद्यालय के बच्चों के अध्ययन कक्ष अथवा संदर्भ व्यक्ति (CWSN) /किसी अन्य कार्मिक द्वारा आवास के रूप में उपयोग में नही लिया जायेगा।
- संदर्भ कक्ष में उपलब्ध सभी सामग्री/उपकरणों को प्रदर्शन बोर्ड पर अंकित किया जाये।
- संदर्भ कक्ष में उपलब्ध प्रत्येक सामग्री/उपकरण की कियाशीलता एवं उनका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाये। कोई भी सामग्री/उपकरण अकियाशील, अनुपयोगी अथवा डिब्बा बंद अवस्था में न रखा जाये।
- प्रत्येक संदर्भ कक्ष में 4x6 के ब्लैक बोर्ड पर स्थायी कलर से संदर्भ कक्ष के खुलने का समय, उपलब्ध सुविधाएं एवं अन्य जानकारी अंकित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- संदर्भ कक्ष हवादार, रोशनीयुक्त व बड़े आकार का हो, जिसमें आवश्यक रूप से बिजली, पानी, रैम्प विद हैण्डरेल की व्यवस्था हो।
- संदर्भ कक्ष वाले विद्यालयों में विशेष शौचालय (Disable Friendly Toilet) की सुविधा सुनिश्चित की जाये।
- संदर्भ कक्ष पर प्रत्येक दिवस दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार बालक–बालिकाओं को बुलाया जाये।
- संदर्भ व्यक्ति (CWSN) की उपलब्धता के आधार पर कार्यभार का आंवटन किया जाये।
- संदर्भ कक्ष पर प्रति दिवस कम से कम दस बालक–बालिकाओं को संबलन प्रदान किया जाये।
- **संदर्भ कक्ष रिकॉर्ड संधारण रजिस्टर** :– प्रत्येक संदर्भ कक्ष पर निम्नानुसार रिकोर्ड संधारित किया जाकर जिले के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर इनकी जाँच की जाये :–
  1. **CWSN रिकॉर्ड रजिस्टर** :– ब्लॉक के सभी चिन्हित विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का रिकॉर्ड संधारण।
  2. **स्टॉक रजिस्टर** :–संदर्भ कक्ष को उपलब्ध करवायी गई समस्त सामग्री/उपकरणों का मूल बिल से मिलान करते हुए भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करना।
  3. **आगंतुक रजिस्टर** :–संदर्भ कक्ष की विजिट के दौरान विभिन्न अधिकारियों/जनप्रतिनिधियों की टिप्पणी अंकित करवाते हुए तदनुसार फोलोअप कार्यवाही सुनिश्चित करना।
  4. **संबलन रजिस्टर** :– संदर्भ कक्ष में आने वाले प्रत्येक बालक–बालिका का दिनांक वार संपूर्ण विवरण एवं इन्हें संदर्भित दिनांक में दिये गये संबलन का ब्यौरा निम्न प्रारूप में रखा जाएगा।

संबलन रजिस्टर का प्रारूप

क्रं. स.	नाम बालक–बालिका	उम्र	विद्यालय का नाम	दोष का प्रकार	दिनांक	प्रदत्त संबलन/ प्रशिक्षण का विवरण	संबलन की आगामी तिथि	हस्ताक्षर संदर्भ शिक्षक

5. **व्यक्तिगत फाईल** :– संदर्भ कक्ष में संबलन हेतु आने वाले प्रत्येक बालक–बालिका की व्यक्तिगत फाईल में निम्न सूचनाएं संधारित की जायेगी।
   - केस हिस्ट्री
   - मूल्यांकन प्रपत्र
   - Individual Education Plan (IEP)
   - फीजियो थैरेपी मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन प्रपत्र
   - स्पीच थैरेपी मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन प्रपत्र
   - व्यवहार मूल्यांकन एवं प्रबंधन प्रपत्र
6. **यात्रा व्यय विवरण रजिस्टर** :– संदर्भ कक्ष में संबलन हेतु आने वाले बालक–बालिकाओं एवं उनके अभिभावकों को प्रदान की जानी वाली यात्रा व्यय राशि की उपलब्धता तथा वितरण का लेखा–जोखा निम्न प्रारूप में रखा जाएगा।

यात्रा व्यय विवरण रजिस्टर

माह.....

क्रं. स.	नाम बालक–बालिका/ अभिभावक	विद्यालय का नाम	संदर्भ कक्ष से विद्यालय/घर की दूरी	भुगतान किए गए किराए की राशि	हस्ताक्षर बालक/अभिभावक

माह में कुल प्राप्त राशि .....वितरित राशि.....शेष राशि.....

- संदर्भ कक्ष पर निम्न सूचनात्मक चार्ट आवश्यक रूप से प्रदर्शित किये जायेंगे:–

–: संदर्भ कक्ष सामग्री उपयोग विवरण :–

क्रं.स.	सामग्री का नाम	गत माह तक उपयोग करने वाले बच्चों की संख्या	इस माह में उपयोग करने वाले बच्चे की संख्या	कुल योग
1	ट्रेड मिल			
2	हैण्डजिम किट बोर्ड			
3	एक्टीवेटर			
4	पैरेलल वाकिंग बार			
5	वॉकर			
6	व्हील चेयर			
7	ट्राईसाईकिल			
8	ग्रुप हीयरिंग ऐड			
9	पोश्चर ट्रेनिंग मिरर			
10	ब्रेलकिट			
11	फीजियो बॉल			
12	ब्रेलर			
	अन्य			
1				
2				

- **होमबेस्ड एज्यूकेशन अन्तर्गत CWSN की सूचना**

नाम संदर्भ व्यक्ति (CWSN) .....

क्र.स.	नाम बालक–बालिका	पीईईओ क्षेत्र	उम्र	दोष का प्रकार	घर का पता एवं मोबाइल नं.
1					
2					
3					
4					

नोट :– प्रत्येक संदर्भ व्यक्ति (CWSN) हेतु पृथक्–पृथक् संधारित किया जाये।

मॉनीटरिंग:–

- सन्दर्भ कक्ष के प्रभावी संचालन की सुनिश्चितता हेतु जिला परियोजना समन्वयक/जिले के अन्य अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम एक बार तथा सीबीईओ द्वारा कम से कम दो बार संदर्भ कक्ष का अवलोकन अनिवार्यतः किया जायेगा। आगन्तुक अधिकारियों द्वारा डायरी/रजिस्टर में अपनी टिप्पणी दर्ज की जायेगी। अवलोकन प्रतिवेदन निम्नलिखित प्रारूप में संधारित होगा :–

संदर्भ कक्ष का नाम

क्र.सं	अवलोकनकर्त्ता का नाम व पद	अवलोकन दिनांक	अवलोकन का संक्षिप्त विवरण	गत अवलोकन के सुझावों की कियान्विति।

- संदर्भ कक्षों द्वारा अधिक से अधिक बालक–बालिकाओं को लाभान्वित करने हेतु कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा द्वारा इनका व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करेंगे तथा समस्त प्रकार के प्रशिक्षणो, कार्यशालाओं में संदर्भ कक्षों की जानकारी सभी संभागियो को प्रदान की जाये।
- **पीईईओ/सीबीईओ द्वारा प्रत्येक माह मे संदर्भ कक्ष के उपयोग एवं बालक–बालिकाओं की संख्या की सूचना माह की 5 तारीख तक कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को भिजवाया जाये तथा जिला परियोजना समन्वयक जिले का समेकित प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 10 तारीख तक परिषद मुख्यालय पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।**
- **संदर्भ कक्ष हेतु आवंटित राशि के व्यय की प्रविष्टि *PMS Portal* पर आवश्यक रूप से दर्ज किया जाना सुनिश्चत करें।**

प्रभावों का आंकलन :– वर्ष पर्यन्त संदर्भ कक्षों के संचालन उपरान्त विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं की उपलब्धियों एवं सकारात्मक प्रभावों का आंकलन विद्यालय स्तर से सुनिश्चित किया जाये।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करते हुए जिले के विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को आवश्यक सम्बलन प्रदान करने हेतु संदर्भ कक्षों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करें। उक्त परिपत्र की पहुँच संबंधित पीईईओ/सीबीईओ एवं संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य तक भी सुनिश्चित करेंगे।

➢ **लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :–**

1. राशि का व्यय योजना के दिशा–निर्देशों एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रकिया अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
2. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
3. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र मे भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, एमएचआरडी की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रकियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

- **नोटः–गतिविधि संचालन के दौरान कोविड–19 के सन्दर्भ में चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी समस्त दिशा–निर्देशों का पूर्णता से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।**

(बाबू लाल मीणा)
राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त
आयुक्त, रास्कूशिप एवं
आयुक्त, स्कूल शिक्षा

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/20–21/13786
दिनांक 17/8/2020

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्त नियत्रंक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
11. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 रश्मि शर्मा)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक

कोरोना के बचाव के उपाय अपनायें

बार बार
हाथ धोयें

मास्क पहन
कर बाहर जायें

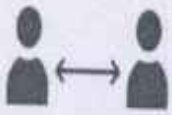

2 गज की दूरी
बनायें रखें

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
www.rajsmsa.nic.in
फोन नं: 0141–2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प. / जय / आईईडी / 2020–21 / 13788 दिनांक : 17/8/2020

दिशा–निर्देश

(सत्र 2020–21)

विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु परिवहन भत्ता (Transport Allowance)

अवधारणा एवं उद्देश्य :–

राज्य में समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का मुख्यधारा में समायोजन, उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढाकर उत्साहवर्धन करने, शैक्षिक एवं थैरेपिक संबलन प्रदान करने, भेदभाव को दूर कर समाज में इनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण तथा अधिकारों एवं क्षमताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाता है। वार्षिक कार्य योजना सत्र 2020–21 के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं को विद्यालय आवागमन हेतु परिवहन भत्ता देय होता है। सत्र 2020–21 में परिवहन भत्ता उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जानी है:–

- **श्रेणी :–** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों की विकलांगता यथा अस्थिदोष, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दिता, सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से प्रभावित राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट भत्ता देय है। Under section 16 (viii) of Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provision is made, "to provide transportation facilities to the children with disabilities and also the attendant of the children with disabilities having high support needs." Transport allowance helps children with special needs in reaching schools.
- **पात्रता :–** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों के विकलांगता यथा अस्थि, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दित व सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से प्रभावित श्रेणी के 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से प्रभावित बालक–बालिकाएं जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
- **अवधि :–** 6 माह के लिए
- **राशि :–** ₹400 / –प्रति माह
- परिवहन भत्ता प्रदान दिये जाने हेतु समस्त जिला परियोजना समन्वयक माह अगस्त, 2020 में जिले के समस्त ब्लॉक के सीबीईओ के माध्यम से पीईईओ / संस्था प्रधानों से संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे।

- प्राप्त आवेदन पत्रों मे से चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाएगी।

1.	डीपीसी	–	अध्यक्ष
2.	एडीपीसी	–	सदस्य सचिव
3.	एपीसी / पीओ (समावेशित शिक्षा)	–	सदस्य
4.	सहायक लेखाधिकारी	–	सदस्य
5.	संदर्भ व्यक्ति (CWSN)	–	सदस्य

2

- उक्त कमेटी समस्त आवेदन पत्रों की जाँच करते हुए समस्त पात्र बालक–बालिकाओं का चयन कर परिवहन भत्ता जारी किए जाने की अनुशंषा करेगी।
- **समय पर राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत चयनित बालक–बालिकाओं हेतु 6 माह की निर्धारित राशि जिला परियोजना समन्वयक द्वारा निम्नानुसार संबंधित SMC/SDMC को विस्तृत व स्पष्ट निर्देशों के साथ अग्रिम भिजवानी होगी, जिससे बालक–बालिकाओं को प्रतिमाह राशि प्राप्त हो सके।**

माह का नाम जिसमें एसएमसी/एसडीएमसी को अग्रिम राशि जारी करनी है।	माह जिनके लिए एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा परिवहन भत्ते का भुगतान किया जाना है।
सितम्बर, 2020	कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माह निर्धारण किया जायेगा।

- **परिवहन भत्ते का भुगतान प्रतिमाह उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा। 50 प्रतिशत उपस्थिति से कम पर भत्ता देय नहीं होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण) अथवा अन्य किसी योजना से जिन बालक–बालिकाओं को परिवहन भत्ते की राशि प्राप्त हो रही है, उन बालक–बालिकाओं को यह राशि देय नहीं होगी।**
- जिलों को आवंटित लक्ष्यानुसार उक्त राशि का भुगतान जिले के **समावेशित शिक्षा की उपमद** "Transportation Allowance" **आंवटित राशि में से व्यय किया जायेगा।**
- उक्त भत्तों का भुगतान संबंधित प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य द्वारा बालक–बालिकाओं की उपस्थिति प्रमाणित करने के पश्चात् किया जाएगा जिसकी सूचना सम्बन्धित प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित सीबीईओ को तथा सम्बन्धित सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी एवं एडीपीसी को प्रेषित की जायेगी।

विशेष बिन्दु :-

शैक्षिक समाचार राजस्थान

- **जिला स्तर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला कलक्टर, जिला परिषद्,, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग आदि विभागों के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये जिससे अधिकाधिक पात्र बालिका–बालिकाओं को लाभ मिल सके।**
- जिले के पात्र सभी विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को परिवहन भत्ता दिया जाना है परन्तु, यदि बजट की अनुपलब्धता के कारण सभी पात्र बालक–बालिकाओं को भत्ता दिया जाना संभव नही हो पाता है तो समावेशित शिक्षा की किसी भी गतिविधि में से बचत की राशि से इन्हें भत्ता दिये जाने हेतु Re-appropriation के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक अविलम्ब परिषद् कार्यालय के समावेशित शिक्षा अनुभाग को भिजवाएं।
- परिवहन भत्ता मद में जिलें को आंवटित राशि की सीमा में भौतिक लक्ष्य से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा सकेगा। वित्तीय लक्ष्यों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
- परिवहन भत्ता का भुगतान परिपत्र में दर्शाये अनुसार प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति आदि प्रमाणित कर निर्धारित प्रकिया सम्पादित करते हुए संबंधित बालक–बालिका के बैंक खाते में एसएमसी / एसडीएमसी द्वारा जमा करवाया जायेगा।

- नवीन पात्र विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओ के जीरो बैलेंस बैंक खाते सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खुलवाये जायेंगे तथा सम्बंधित बालक–बालिकाओं के **बैंक खाते में** परिवहन भत्ता जमा कराने के उपरान्त उसी माह में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा अनिवार्य रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित पीईईओ/सीबीईओ तथा सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी को प्रेषित किया जायेगा।
- परिवहन भत्ता हेतु कोई न्यूनतम दूरी की बाध्यता नहीं है।
- प्रतिमाह किये जाने वाले भुगतान की जानकारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों को सूचित कर पूर्ण पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराई जायेगी।
- **पात्र CWSN बालक–बालिकाओं की तथा उनको देय परिवहन भत्ते की सूचना पीएमएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट करें। बालक–बालिकाओं की सूचना अपडेट करने के बाद परिवहन भत्ते वाला ऑप्शन भी आवश्यक रूप से क्लिक करें अन्यथा दिये जाने वाले परिवहन भत्ते की प्रगति पोर्टल पर प्रदर्शित नही होगी।**

➢ **लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :–**

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, एमएचआरडी की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रकियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

- **नोटः–गतिविधि संचालन के दौरान कोविड–19 के सन्दर्भ में चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी समस्त दिशा–निर्देशों का पूर्णता से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।**

(बाबू लाल मीणा)
राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त
आयुक्त, रास्कूशिप एवं
आयुक्त, स्कूल शिक्षा

शैक्षिक समाचार राजस्थान

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/20–21/ 13788
दिनांक : 17/8/2020

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्त नियत्रंक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
11. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 रहिम शर्मा)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

परिवहन भत्ता हेतु आवेदन पत्र

फोटो

1. नाम बालक / बालिका.....
2. पिता का नाम.....
3. जन्म तिथि.....कक्षा.....
4. स्थानीय पता.....
5. एस.आर. न0.....दोष का प्रकार एवं प्रतिशत.....
6. नोडल / पीईईओ.....ब्लॉक.....
7. विद्यालय.....डाईस कोड.....
8. घर से विद्यालय की दूरी.....
9. आधार कार्ड नम्बर.....
10. खाता संख्या.....IFSC Code.....
11. बैंक का नाम.....
12. वाहन का प्रकार (यदि कोई हो) जिससे विद्यालय आने व जाने की व्यवस्था की जा सकती है।
13. क्या अन्य पात्र बच्चों के साथ वाहन का साझा उपयोग हो सकता है। यदि हाँ, तो बच्चों का नाम.....
14. अनुमानित प्रति माह व्यय राशि.....
15. क्या बालक–बालिका घर से विद्यालय तक अकेले आने में असमर्थ है ? यदि हाँ, तो कारण व किसके द्वारा विद्यालय तक लाया एवं ले जाया जाता है .....

.....

हस्ताक्षर अभिभावक

ह0 छात्र / छात्रा

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है एवं बालक/बालिका..... उक्त विद्यालय की कक्षा.....में अध्ययनरत है तथा उक्त बालक/बालिका को परिवहन भत्ते हेतु ₹.....प्रतिमाह भत्ता प्रदान किए जाने की अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य
मोहर सहित

कार्यालय उपयोग हेतु

उक्त समस्त तथ्यों की जांच के पश्चात् छात्र/छात्रा.....
पुत्र/पुत्री श्री.....विद्यालय.....को
परिवहन भत्ते ₹..... प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर

नाम पद सहित.....

कोरोना के बचाव के उपाय अपनायें

बार बार
हाथ धोयें

मास्क पहन
कर बाहर जायें

2 गज की दूरी
बनायें रखें

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
www.rajsmsa.nic.in
फोन नं: 0141–2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प. / जय / आईईडी / 2020–21 / 13780 दिनांक : 17/8/2020

दिशा–निर्देश

(सत्र 2020–21)

1. मेडीकल कम फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प का आयोजन

राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के चिकित्सकीय एवं कियात्मक आवश्यकताओं के आंकलन करने तथा इन बच्चों को उनकी आवश्यकतानुसार सम्बलन, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, शिक्षण सामग्री, विविध उपकरण एवं लो–विजन उपकरण आदि प्रदान करने हेतु मेडीकल कम फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प आयोजित किये जाने हैं।

मेडीकल कम फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प भारतीय कृत्रिम अंग–उपकरण निर्माण संस्थान, (एलिम्को) कानपुर / चनालोन, मोहाली एवं जिला चिकित्सालय के सहयोग से ब्लॉक / जिला स्तर पर आयोजित किये जाने है। फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प हेतु मेडीकल बोर्ड का गठन किया जाकर निम्न सारणी में अंकित विवरण के अनुसार कार्य संपादित करवाया जाएगा:–

क्र.सं.	श्रेणी	किये जाने वाले कार्य
1	अस्थि दोष विशेषज्ञ	अस्थि दोष से प्रभावित बालक–बालिकाओं हेतु आवश्यक अंग व उपकरणों का निर्धारण एवं स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना।
2	आई स्पेशलिस्ट	बालक–बालिकाओं की आँखों की जाँच करके आवश्यकता अनुसार उपकरणों का निर्धारण (चश्मा, मेग्नीफायर) एवं प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना।
3	ई एन टी स्पेशलिस्ट	बालक–बालिकाओं के श्रवण एवं स्वर मैकेनिज्म की जाँच करते हुए आवश्यकता का निर्धारण करना एवं प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना।
4	मनोचिकित्सक	मानसिक विमन्दिता एवं मानसिक बीमारी की जाँच करते हुए आवश्यकता का निर्धारण करना एवं प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना।
5	सामान्य चिकित्सक	सामान्य जांच एवं रक्त संबंधी विकलांगता, पहचान एवं प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना।
6	फिजियोथेरेपिस्ट	बालक–बालिकाओं के गामक एवं पेशीय समन्वय की जांच करते हुए थैरेपी कार्यक्रम का निर्धारण।
7	स्पीच थेरेपिस्ट	बालक–बालिकाओं का स्पीच असेसमेन्ट करते हुए थैरेपी कार्यक्रम का निर्धारण।
8	साइकॉलोजिस्ट	बालक–बालिकाओं की IQ असेसमेन्ट एवं व्यवहारगत समस्याओं का अध्ययन करते हुए सुधारात्मक कार्यक्रम का निर्धारण।
नोट :– Rights of Persons With Disability Act, 2016 के अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों की विकलांगता के प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है।		

- समयावधि:– सितम्बर–अक्टूबर, 2020
- वित्तीय प्रावधान :–

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के असेसमेन्ट तथा असेसमेन्ट पश्चात अंग–उपकरण वितरण दोनों कैम्पों के आयोजन हेतु संयुक्त रूप

से प्रति ब्लॉक ₹ 45,000/– की राशि (Elementary - 160 i - Identification & Assessmet (Medical Assessment Camp) स्वीकृत की गई है। उक्त दोनों कैम्प आयोजन हेतु जिले को आंवटित कुल बजट की सीमा में कैम्प हेतु निम्नानुसार व्यय किया जा सकेगा :–

- बच्चों, अभिभावकों एवं कार्मिकों हेतु चाय, नाश्ता एवं वर्किंग लंच – ₹ 100/– प्रति व्यक्ति।
- बैठक एवं टेन्ट व्यवस्था लगभग – ₹ 15000/– प्रति कैम्प प्रति दिवस।
- कन्टींजेन्सी/फोटोग्राफी/विडियोग्राफी – लगभग ₹ 5000/– प्रति कैम्प
- बच्चों एवं अभिभावकों हेतु यात्रा व्यय – वास्तविक।
- मेडीकल बोर्ड के सदस्य मानदेय – ₹ 800/– प्रति दिवस।
- एलिम्को तकनीकी दल हेतु भोजन/नाश्ता – ₹ 200/– प्रति व्यक्ति प्रति दिवस।

- **श्रवण बाधित बालक–बालिकाओं हेतु ऑडियोमेटरी टेस्ट एलिम्को, कानपुर/चनालोन, मोहाली के तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा किया जायेगा। जिले के श्रवण बाधित बालक–बालिकाओं को कैम्प में लाया जाना सुनिश्चित करें जिससे आवश्यक उपकरण हेतु चिन्हित किया जा सके।**
- मेडीकल बोर्ड में यथा संभव राजकीय चिकित्सक ही बुलाए जाए तथा इस हेतु पूर्व में ही जिला कलक्टर अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के द्वारा आदेश जारी करवावें।
- राजकीय चिकित्सकों की उपलब्धता नहीं होने पर जिला कलक्टर से अनुमोदन पश्चात निजी चिकित्सकों को कैम्प में बुलाया जा सकेगा।
- एलिम्को तकनीकी दल हेतु आवास व्यवस्था सर्किट हाउस अथवा डाक बंगले में उपलब्धता के अनुसार की जा सकेगी।
- एलिम्को तकनीकी दल के सदस्यों को नियमानुसार टीए/डीए का भुगतान स्वयं के विभाग एल्मिकों, कानपुर/चनालोन, मोहाली से ही देय होगा।
- बालक–बालिकाओं, अभिभावकों तथा एलिम्को तकनीकी दल हेतु नाश्ता, भोजन, टेन्ट इत्यादि की नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर व्यवस्था की जावें।
- उपापन के संबंध में RTPP Act 2012 एवं RTPP Rule 2013 के प्रावधानों की पालना की जाये।
- **व्यवस्था हेतु किये गये व्यय का समायोजन निर्धारित समयावधि कर व्यय की प्रविष्टि पीएमएस पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें।**
- एलिम्को विशेषज्ञ तकनीकी दल को कोई मानदेय देय नहीं होगा।
- बोर्ड के सदस्यों को कैम्प स्थल तक लाने व ले जाने के लिए वाहन व्यवस्था जिला परियोजना समन्वयक द्वारा ही की जावेगी। उक्त वाहन यथा संभव पूर्व में परियोजना कार्य में संचालित होना चाहिए। अपरिहार्य स्थिति में वाहन उपलब्ध नहीं होने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद से अनुमोदन पश्चात् वित्त विभाग की अनुमोदित दरों पर अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था की जाकर व्यय प्रबंधन मद से किया जा सकेगा।
- बजट के पारदर्शितापूर्ण उपयोग हेतु पूर्व नियोजन के साथ पात्र बालक–बालिकाओं को ही बुलवाया जाये।
- सीबीईओ/पीईईओ द्वारा संदर्भ शिक्षक (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षक) एवं नोडल प्रभारी की सहायता से डाइस डाटा के अनुसार जिन बालक बालिकाओं का मेडीकल असेसमेन्ट नहीं हुआ है तथा जिन्हें अंग–उपकरण/लो–विजन डिवाइसेस की आवश्यकता है उनकी पृथक्–पृथक् सूची मय पूर्ण पते के साथ तैयार कराकर व्यक्तिशः बच्चे का प्रमाणीकरण कर सूची नोडल स्तर पर 30 अगस्त, 2020 तक उपलब्ध करा दी जावे ताकि कैम्प आयोजन की तिथि निर्धारित होने पर ऐसे बालक बालिकाओं को आमंत्रित किया जा सके। इस सूची को कम्प्यूटर में सुरक्षित भी रखा जाये।
- उक्तानुसार चयनित बालक–बालिकाओं के आवेदन पत्र आदि भराकर उन्हें कैम्प स्थल तक लाने का दायित्व सीबीईओ एवं संबंधित विद्यालय के पीईईओ/प्रधानाध्यापक, संदर्भ शिक्षक (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षक) का होगा।
- **उक्त समस्त कैम्पों की सूचना जिले में विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं एवं बालक–बालिकाओं के अभिभावकों को पूर्व में ही पत्र/एसएमएस/मोबाईल/व्हाट्स–एप द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी ताकि समस्त पात्र बालक–बालिकाएं लाभान्वित हो सके।**

क्रियान्वयन के बिन्दु :-

- एक से अधिक ब्लॉक हेतु कैम्प स्थानीय आवश्यकतानुसार संयुक्त रूप से लगाये जा सकेंगे।
- कैम्प आयोजन तिथि **(सितम्बर–अक्टूबर, 2020)** एवं स्थान के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेस विज्ञप्ति जारी कराई जावे।
- कैम्पों में गैर सरकारी संगठनों को भी सहयोग हेतु आमंत्रित किया जाये तथा उनकी भूमिका निर्धारित की जाए।
- कैम्प में भाग लेने वाले प्रत्येक बालक–बालिका को निम्नांकित दस्तावेज साथ लाने हेतु अनिवार्य रूप से सूचित किया जाए :–
  - ✓ पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ्स – 4
  - ✓ मूल निवास प्रमाण पत्र
  - ✓ आय प्रमाण पत्र
  - ✓ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)।
- कैम्प में अंग–उपकरण हेतु चयनित प्रत्येक बालक–बालिका के अभिभावक का मोबाईल नम्बर लिया जाकर अंग–उपकरण वितरण की तिथियां निर्धारित होने पर निर्धारित तिथियों से कम से कम तीन दिवस पूर्व तिथियों एवं आयोजन स्थल की जानकारी Mobile/SMS/ WhatsApp द्वारा प्रेषित की जायेगी।
- फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प उपमद में राशि कम होने की स्थिति में "Providing Aids and Appliances" उपमद से व्यय किया जा सकेगा।
- बालक–बालिकाओं की थैरेपी का आंकलन किया जाकर थैरेपी कार्यक्रम तैयार कराये जाये व संदर्भ शिक्षक (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षक) द्वारा तद्नुसार क्रियान्वयन किया जावे।
- मेडीकल असेसमेन्ट कैम्प आयोजन के समय जिला कलेक्टर के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, रेलवे एवं रोड़वेज के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जावे जिससे इन बालक–बालिकाओं को विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, छात्रवृति संबंधि प्रकिया तथा अन्य सुविधाएं हेतु सहयोग प्राप्त हो सकें।
- गत सत्र् के शेष रहे विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के अनुसार ही मेडीकल असेसमेन्ट सुनिश्चित कराया जाये। फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प में बालक–बालिकाओं की आवश्यकतानुसार संदर्भ कक्ष का कलैण्डर निर्धारित करते हुए बालक–बालिकाओं को संदर्भ कक्ष में बुलाया जाये जिससे संदर्भ शिक्षक (CWSN) एवं वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षक) द्वारा निर्धारित संबलन प्रदान किया जा सके।
- समस्त सूचना कैम्प समाप्ति के बाद परिषद् मुख्यालय भिजवाना सुनिश्चित करें।

2. अंग–उपकरण वितरण

विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं की सामान्य विद्यालयों में मेनस्ट्रीमिंग कराने हेतु समावेशित शिक्षा के तहत फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प में चयनित विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को निःशुल्क अंग–उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु अंग–उपकरण वितरण कैम्प जिले स्तर पर आयोजन किया जाना है:-

- फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्पों के आयोजन पश्चात् भारतीय कृत्रिम अंग–उपकरण निर्माण संस्थान, (एलिम्को) कानपुर/चनालोन, मोहाली से प्राप्त प्रोफार्मा इन्वाइस के आधार पर अग्रिम राशि परिषद् मुख्यालय से प्रेषित की जायेगी। यह राशि "Providing Aids and Appliances" उपमद के अन्तर्गत आंवटित राशि में से प्रभार्य की जा सकेगी।
- भारतीय कृत्रिम अंग–उपकरण निर्माण संस्थान, (एलिम्को) कानपुर/चनालोन, मोहाली के सहयोग से आयोज्य फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प में चयनित विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को अंग–उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे।
- भारतीय कृत्रिम अंग–उपकरण निर्माण संस्थान, (एलिम्को) कानपुर/चनालोन, मोहाली से अंग–उपकरण प्राप्त होने के पश्चात् एलिम्को से सहमति प्राप्त तिथियों में सामग्री का वितरण किया जायेगा।
- फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प में अंग–उपकरण हेतु चयनित प्रत्येक बालक–बालिका के अभिभावक को अंग–उपकरण वितरण की तिथियां निर्धारित होने पर निर्धारित तिथियों से कम से कम तीन दिवस पूर्व तिथियों एवं आयोजन स्थल की जानकारी Mobile/SMS/ WhatsApp द्वारा प्रेषित की जायेगी।
- अंग–उपकरण उपलब्ध कराने हेतु SCHEME OF ASSISTANCE TO DISABLED PERSONS FOR PURCHASE/FITTING OF AIDS/APPLIANCES (ADIP SCHEME) योजना के प्रावधानों की पूर्ण पालना की जाये।
- अंग–उपकरण वितरण कैम्प में एलिम्को के प्रतिनिधि आवश्यक रूप से बुलाये जाएंगे जिनके द्वारा बालक–बालिकाओं की आवश्यकतानुसार अंग–उपकरणों का माप लेकर अंग–उपकरण उपलब्ध कराये जायेगें।
- जिले के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एलिम्को से प्राप्त समस्त सामग्री पात्र बालक–बालिकाओं को वितरित कर दी जाये तथा कोई भी अंग–उपकरण अवितरित नहीं रहे।
- **अंग–उपकरण वितरण कार्यक्रम पर व्यय समावेशित शिक्षा के फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प तथा अंग–उपकरण वितरण कैम्प हेतु जारी राशि से किया जा सकेगा। इस हेतु राशि कम उपलब्ध होने की स्थिति में शेष राशि उपलब्धता के आधार पर "Providing Aids and Appliances" से प्रभार्य हो सकेगी।**
- एलिम्को तकनीकी दल के सदस्यों को नियमानुसार टीए/डीए का भुगतान स्वयं के विभाग एलिमको, कानपुर/चनालोन, मोहाली से ही देय होगा।
- बालक–बालिकाओं, अभिभावकों तथा एलिम्को तकनीकी दल हेतु नाश्ता, भोजन, टेन्ट इत्यादि की नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर व्यवस्था की जावें।
- उपापन के संबंध में RTPP Act 2012 एवं RTPP Rule 2013 के प्रावधानों की पालना की जाये।

शाक्षिक समाचार राजस्थान

- बालक–बालिकाओं, अभिभावकों तथा एलिम्को तकनीकी दल हेतु भोजन/नाश्ता, टेन्ट इत्यादि की व्यवस्था हेतु नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर की जावें।
- व्यवस्था हेतु किये गये व्यय का समायोजन निर्धारित समयावधि में कर व्यय की प्रविष्टि पीएमएस पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें।
- बजट की उपलब्धता कम होने की स्थिति में बालक–बालिकाओं को अंग–उपकरण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से निःशुल्क दिलाये जाये।
- उक्तानुसार कार्यक्रम का प्रभावी आयोजन करते हुए कैम्प आयोजन के 7 दिवस में प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रारूप में परिषद मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

➢ **लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :–**

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, एमएचआरडी की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रकियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

- **नोटः–गतिविधि संचालन के दौरान कोविड–19 के सन्दर्भ में चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी समस्त दिशा–निर्देशों का पूर्णता से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।**

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(बाबू लाल मीणा)
राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त
आयुक्त, रास्कूशिप एवं
आयुक्त, स्कूल शिक्षा

शैक्षिक समाचार राजस्थान

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/20–21/13780 दिनांक :17/8/2020

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्त नियत्रंक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
11. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 रश्मि शर्मा)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक

अंग-उपकरण वितरण की सूचना

क्र. सं.	नाम बालक-बालिका	पिता का नाम	विद्यालय का नाम	दोष का प्रकार	अंग - उपकरण का नाम
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

शैक्षिक समाचार राजस्थान

हस्ताक्षर

जिला परियोजना समन्वयक

कोरोना के बचाव के उपाय अपनायें

बार बार
हाथ धोयें

मास्क पहन
कर बाहर जायें

2 गज की दूरी
बनायें रखें

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
www.rajsmsa.nic.in
फोन नं: 0141–2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प. / जय / आईईडी / 2020–21 / 13778 दिनांक 17/8/2020

दिशा–निर्देश

(सत्र 2020–21)

थैरेपिटिक सेवाएं (Therapeutic Services)

समावेशित शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत ब्लॉक स्तर पर स्थापित संदर्भ कक्षों पर गंभीर दोष से प्रभावित विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु संबंधित ब्लॉक संदर्भ केन्द्र पर थैरेपिक संबंलन प्रदान करने के उद्देश्य से थैरेपिटक सेवाएं उपलब्ध करवाया जाना है। थैरेपिटक सेवाएं में पुनर्वास विशेषज्ञों की व्यवस्था (फिजियोथैरेपी, स्पीच थैरेपी एवं साईकोलॉजिकल काउंसलिंग) एवं पेरेन्ट्स काउसंलिंग कार्यक्रम का आयोजन निम्नानुसार किया जाना है :–

1. पुनर्वास विशेषज्ञों की व्यवस्था (Rehabilitation/Therapy specialist)

वार्षिक कार्ययोजना सत्र 2020–21 के अनुसार राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं में दोष की तीव्रता कम करने तथा उनकी अधिशेष क्षमताओं के अभिवर्द्धन हेतु संदर्भ कक्षों पर विभिन्न पुनर्वास विशेषज्ञ यथा फीजियोथैरेपिस्ट (Physiotherapist), स्पीचथैरेपिस्ट (Speech Therapist), क्लीनिकल साईकॉलोजिस्ट (Psychologist) आदि की सेवाएं मानदेय / विजिटिंग के आधार पर लिये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है :–

- **फीजियो थैरेपिस्टः–**
  - **अपेक्षित योग्यता :–मास्टर ऑफ फिजियो थैरेपी (M.P.T)/बैचलर ऑफ फिजियो थैरेपी (B.P.T)**
  - **कार्य :–**
    - ब्लॉक पर चिन्हित विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं की फीजियो थैरेपी संबंधी आवश्यकताओं का आकलन कर कार्ययोजना निर्माण करना।
    - कार्यक्रम संचालन हेतु ब्लॉक पर कार्यरत संदर्भ शिक्षकों की क्षमता अभिवर्द्धन करना।
    - विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के अभिभावक को उनके घर पर इस कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रशिक्षित करना।
    - बालक–बालिकाओं को निर्धारित थैरेपी कार्यक्रम के अनुसार संबंलन दिया जाना है। दिये गये थैरेपिक संबंलन का समय–समय पर मूल्यांकन करते हुए किये गये सुधार का अभिलेख संधारण संदर्भ कक्ष पर किया जाना है।
    - बालक–बालिकाओं की आवश्यकतानुसार थैरेपी कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए *intervention* का पुनर्निर्धारण किया जाना।
    - बालक–बालिकाओं की समय एवं स्थानजनित तात्कालिक समस्याओं का निवारण।

- **मानदेय :-**
  - ➢ फिजियोथैरेपिस्ट हेतु प्रारम्भिक असेसमेन्ट के लिए अधिकतम ₹ 150/–प्रति बालक–बालिका एवं फोलोअप कार्यक्रम हेतु अधिकतम ₹ 100/–प्रति बालक–बालिका मानदेय देय होगा।
  - ➢ जिला मुख्यालय से ब्लॉक संदर्भ केन्द्र (संदर्भ कक्ष) तक जाने हेतु साधारण रेल/बस का आने–जाने का वास्तविक किराया देय होगा।
  - ➢ फोलोअप कार्यक्रम के लिए उपस्थिति अनिवार्य है।
  - ➢ फीजियोथैरेपिस्ट द्वारा प्रेषित बिल का भुगतान संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य एवं संदर्भ शिक्षक द्वारा प्रस्तुत कार्य रिपोर्ट के आधार पर जिला परियोजना समन्वयक द्वारा किया जायेगा।

- **स्पीच थैरेपिस्ट :-**
  - **अपेक्षित योग्यताः- बैचलर ऑफ ऑडियोलोजी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी (B.A.S.L.P)/ डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच**
  - **कार्यः-**
    - ➢ ब्लॉक पर चिन्हित विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं की स्पीच थैरेपी संबंधी आवश्यकताओं का आंकलन कर कार्ययोजना निर्माण करना।
    - ➢ कार्यक्रम संचालन हेतु ब्लॉक पर कार्यरत संदर्भ शिक्षकों की क्षमता अभिवर्द्धन करना।
    - ➢ विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के अभिभावक को उनके घर पर इस कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रशिक्षित करना।
    - ➢ बालक–बालिकाओं को निर्धारित थैरेपी कार्यक्रम के अनुसार संबंलन दिया जाना है। दिये गये थैरेपिक संबंलन का समय–समय पर मूल्यांकन करते हुए किये गये सुधार का अभिलेख संधारण संदर्भ कक्ष पर किया जाना है।
    - ➢ बालक–बालिकाओं की आवश्यकतानुसार थैरेपी कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए पुनर्निर्धारण किया जाना।
    - ➢ बालक–बालिकाओं की समय एवं स्थानजनित तात्कालिक समस्याओं का निवारण।
  - **मानदेय :-**
    - ➢ स्पीच थैरेपस्टि हेतु प्रारम्भिक असेसमेन्ट के लिए अधिकतम ₹ 150/–प्रति बालक–बालिका एवं फोलोअप कार्यक्रम हेतु अधिकतम ₹ 100/–प्रति बालक–बालिका मानदेय देय होगा।
    - ➢ जिला मुख्यालय से ब्लॉक संदर्भ केन्द्र (संदर्भ कक्ष) तक जाने हेतु साधारण रेल/बस का आने–जाने का वास्तविक किराया देय होगा।
    - ➢ फोलोअप कार्यक्रम के लिए उपस्थिति अनिवार्य है।
    - ➢ स्पीचथैरेपिस्ट द्वारा प्रेषित बिल का भुगतान संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य एवं संदर्भ शिक्षक द्वारा प्रस्तुत कार्य रिपोर्ट के आधार पर जिला परियोजना समन्वयक द्वारा किया जायेगा।

- **क्लिनिकल साईकोलॉजिस्ट :-**
  - **अपेक्षित योग्यताः-डिप्लोमा इन क्लिनिकल साईकॉलोजी/एमएससी (क्लिनिकल साईकॉलोजी)**
  - **कार्य :-**
    - ➢ ब्लॉक पर चिन्हित मानसिक विमन्दित बच्चों का I.Q. Level तय करना।
    - ➢ बालक–बालिकाओं के I.Q. Level के अनुसार कार्यक्रम निर्धारण करना।

- बालक–बालिकाओं के व्यवहार संबंधी समस्याओं के परिमार्जन हेतु कार्यक्रम निर्धारण करना।
- बालक–बालिकाओं के व्यवहार संबंधी समस्याओं के परिमार्जन हेतु निर्धारित कार्यक्रम के संचालन के लिए ब्लॉक संदर्भ शिक्षकों एवं अभिभावकों को परामर्श/प्रशिक्षण प्रदान करना।
- बालक–बालिकाओं के संबंध में संदर्भ शिक्षक एवं अभिभावकों की विशिष्ट क्षमता अभिवर्द्धन करना।
- बालक–बालिकाओं की समय एवं स्थानजनित तात्कालिक समस्याओं का निवारण।

- **मानदेय :-**
  - क्लिनिकल साईकोलॉजिस्ट हेतु प्रारम्भिक असेसमेन्ट के लिए अधिकतम ₹150/–प्रति बालक–बालिका एवं फोलोअप कार्यक्रम हेतु अधिकतम ₹ 100/–प्रति बालक–बालिका मानदेय देय होगा।
  - जिला मुख्यालय से ब्लॉक संदर्भ केन्द्र (संदर्भ कक्ष) तक जाने हेतु साधारण रेल/बस का आने–जाने का वास्तविक किराया देय होगा।
  - फोलोअप कार्यक्रम के लिए उपस्थिति अनिवार्य है।
  - साईकोलॉजिस्ट द्वारा प्रेषित बिल का भुगतान संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य एवं संदर्भ शिक्षक द्वारा प्रस्तुत कार्य रिपोर्ट के आधार पर जिला परियोजना समन्वयक द्वारा किया जायेगा।

अन्य प्रावधान :-

- बालक–बालिकाओं तथा संरक्षकों हेतु नाश्ते की व्यवस्था नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर की जावे।
- थैरेपिक संबंलन के दिन बालक–बालिकाओं एवं अभिभावकों के नाश्ते हेतु ₹15/– प्रति संभागी की दर से व्यय किया जा सकेगा।
- बालक–बालिकाओं व अभिभावकों को साधारण रेल/बस का वास्तविक किराया परिषद कार्यालय द्वारा संदर्भ कक्ष हेतु जारी परिपत्रानुसार देय होगा।
- उक्तानुसार समस्त रिकोर्ड का संधारण संदर्भ कक्ष पर किया जायेगा।
- जिले में ब्लॉक की संख्या तथा बालक–बालिकाओं की संख्या के आधार पर एक से अधिक पुनर्वास विशेषज्ञों की सेवाएं ली जा सकेगी परन्तु, किसी भी स्थिति में व्यय जिले को आवंटित बजट राशि से अधिक नही किया जा सकेगा।
- **जिला परियोजना समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा जिले में चयनित पुनर्वास विशेषज्ञों को प्रत्येक माह की 5 तारीख से पूर्व संपूर्ण माह का विजिट कार्यक्रम निर्धारित कर दिया जायेगा। विजिट कार्यक्रम का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि प्रत्येक ब्लॉक पर प्रतिमाह प्रत्येक पुनर्वास विशेषज्ञ की कम से कम एक बार विजिट सुनिश्चित हो।** कार्यक्रम की प्रभावी मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जाये।
- बालक–बालिकाओं को पुनर्वास विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित तिथियों में संदर्भ कक्ष पर उपस्थिति सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित ब्लॉक के सीबीईओं के निर्देशन में ब्लॉक स्तर पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (IED) एवं संदर्भ कक्ष पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/ संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय में कार्यरत विशेष शिक्षक का होगा। विजिट दिवस को कम से कम 10 पात्र बालक–बालिकाओं की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी। यदि इससे कम संख्या में बालक–बालिकाएं उपस्थित रहते है, तो सीबीईओं द्वारा संबंधित के विरूद्व कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
- उक्त कार्यक्रम के संपूर्ण पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी संबंधित ब्लॉक के सीबीईओ की होगी।

- पुनर्वास विशेषज्ञों के साथ जिला परियोजना समन्वयक उक्त दरों पर वर्ष पर्यन्त कार्य करने हेतु ₹50 के नॉनज्युडीशियल स्टाम्प पेपर पर एम.ओ.यू करेंगे।
- **यदि पुनर्वास विशेषज्ञ एम.ओ.यू के पश्चात् संतोषप्रद कार्य नहीं करते है तो उनके पंजीकरण निरस्ती हेतु लिखा जा सकेगा।**
- जिला परियोजना समन्वयक जिला स्तर पर उक्त विशेषज्ञों के चयन की योग्यता का उल्लेख करते हुए स्थानीय एक या दो दैनिक समाचार पत्रों में न्यूनतम पठनीय साइज में **(दिशा–निर्देश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस में) विज्ञप्ति जारी करेंगे** व प्रति बालक–बालिका की न्यूनतम दर के आधार पर योग्य विशेषज्ञ का चयन पारदर्शिता से सुनिश्चित करेंगे। सुलभ संदर्भ हेतु विज्ञप्ति का प्रारूप संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।
- पुनर्वास विशेषज्ञों का चयन उक्त वर्णित शर्तो के अनुरूप ही जिला स्तर पर किया जाना है। इस संबंध में परिषद स्तर से कोई अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।
- **एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में परिषद कार्यालय से निर्गत पत्र कमांक 5979 दिनांक 05.09.2018 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।**

वित्तीय प्रावधान :–

- **पुनर्वास विशेषज्ञों की व्यवस्था हेतु हेतु राशि ₹10,000/– रूपये प्रति ब्लॉक का प्रावधान।**
- प्रत्येक माह की 7 तारीख तक प्रगति की सूचना निम्न प्रारूप में परिषद मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें।

क्रं. सं.	नाम पुनर्वास विशेषज्ञ	विशेषज्ञता का क्षेत्र	इस माह में असेसमेन्ट किये गये बच्चों का नाम एवं श्रेणीवार संख्या	इस माह में फोलोअप किये गये बच्चों का नाम एवं श्रेणीवार संख्या	असेसमेन्ट तथा फॉलोअप के पश्चात् बच्चों में परिलक्षित सुधार

2. अभिभावक परामर्शदात्री कार्यक्रम (Parents Counselling)

समावेशित शिक्षा कार्यक्रम के तहत् राज्य के समस्त विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं की पहचान के पश्चात् उनके लिये आवश्यक सहायक सामग्री, अंग उपकरण एवं शिक्षण सामग्री का प्रबन्ध करते हुये शिक्षण व्यवस्था संदर्भ कक्ष/विद्यालयों में की जाती है। गंभीर दोष से प्रभावित विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाएं जो कि दोष की गंभीरता के कारण विद्यालय तक पहुँच पाने में समर्थ नहीं है, को होम बेस्ड एज्युकेशन उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इन सेवाओं की अनुपलब्धता एवं जानकारी के अभाव में गंभीर दोष से प्रभावित बालक–बालिकाओं के माता–पिता अपेक्षित सम्बलन सेवाएं उपलब्ध करवाने में कठिनाई महसूस करते हैं। अभिभावकों को इस स्थिति से उबारने एवं बालक–बालिकाओं को उचित सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुये उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से समावेशित शिक्षा कार्यक्रम के तहत् इन बालक–बालिकाओं के अभिभावकों के लिए परामर्शदात्री कार्यक्रम का आयोजन निम्नानुसार किया जाना है :–

✓ पेरेन्ट्स काउंसलिंग **संदर्भ कक्ष पर वर्ष में दो बार** (सितम्बर एवं दिसम्बर, 2020) आयोजित की जायेगी।

- ✓ **पेरेन्ट्स काउंसलिंग में सभी तीन श्रेणियों (VI, HI & MR) के संदर्भ व्यक्तियों (CWSN)/विशेष शिक्षक (वरिष्ठ अध्यापक) की उपस्थिति अनिवार्य है।**
- ✓ **संदर्भ कक्ष/संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय में किसी श्रेणी विशेष के संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/विशेष शिक्षक (व0अ0) उपलब्ध न होने की स्थिति में ब्लॉक के किसी अन्य विद्यालय से उसी श्रेणी के विशेष शिक्षक को पेरेन्ट्स काउंसलिंग कार्यक्रम हेतु लगाया जाना सुनिश्चित करें।**
- ✓ काउंसलिंग के दौरान संदर्भ व्यक्तियों (CWSN) / विशेष शिक्षक (व0अ0) द्वारा पैरेन्ट्स के सहयोग से बालक–बालिकाओं की केस हिस्ट्री संलग्न प्रपत्र में तैयार की जावेगी एवं प्रत्येक बालक–बालिकाओं हेतु पृथक्–पृथक् फाईल का संधारण संदर्भ कक्ष पर किया जावेगा। काउंसलिंग के दौरान संदर्भ व्यक्तियों (CWSN) / विशेष शिक्षक (वरिष्ठ अध्यापक) द्वारा पैरेन्ट्स को भावनात्मक सम्बलन प्रदान करते हुये बालक–बालिकाओं के लिये उपयुक्त पुनर्वास आवश्यकताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित किया जायेगा।
- ✓ अभिभावकों को समावेशित शिक्षा की समस्त गतिविधियों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाकर बालक–बालिकाओं की अधिकतम भागादारी हेतु प्रेरित किया जायेगा।
- ✓ अभिभावकों को बालक–बालिकाओं के लिये **"अतिसुरक्षा एवं परित्याग"**की प्रवृत्ति समाप्त करते हुये बालक–बालिकाओं के लिये घर–परिवार में सामान्य वातावरण एवं सामान्य व्यवहार हेतु प्रेरित किया जायेगा।
- ✓ यदि बालक–बालिका द्वारा किसी अंग–उपकरण का उपयोग किया रहा है तो इनकी देखभाल व निरन्तर कार्यकुशलता के लिए अभिभावक को जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।
- ✓ बालक–बालिकाओं के दोष की गंभीरता के नियंत्रण हेतु आवश्यक गतिविधियों का निर्धारण करते हुये अभिभावकों को इस कार्यक्रम में भागीदारी हेतु प्रेरित किया जायेगा।
- ✓ होमबेस्ड एज्यूकेशन के बालक–बालिकाओं हेतु संदर्भ कक्ष में उपलब्ध करवाये जाने वाले शैक्षिक/थैरेपिक संबंलन के संबंध में जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।
- ✓ काउंसलिंग के दौरान अभिभावकों के साथ सहानुभूति (Sympathy) के स्थान पर तदनुभूति (Empathy) का सिद्धान्त अपनाया जाये ताकि अभिभावक हीनता की भावना महसूस ना करें।
- ✓ काउंसलिंग के दौरान अभिभावकों की सहभागिता एवं उत्तरदायित्वों के कम में विस्तृत जानकारी प्रदान की जायेगी।
- ✓ राज्य सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की जायेगी।
- ✓ काउंसलिंग के दौरान निःशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थानों तथा संगठनों की विस्तृत जानकारी प्रदान की जायेगी।
- ✓ **बालक–बालिकाओं एवं अभिभावकों को पेरेन्ट काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि में संदर्भ कक्ष पर उपस्थिति सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित ब्लॉक के सीबीईओं के निर्देशन में ब्लॉक स्तर पर**

कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (IED) एवं संदर्भ कक्ष पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय में कार्यरत विशेष शिक्षक का होगा।

- ✓ काउंसलिंग के दौरान लंच के पूर्व सभी अभिभावकों को एक साथ काउंसलिंग प्रदान की जायेगी एवं लंच उपरान्त अलग–अलग विकलांगता श्रेणी (VI, HI & MR) के अनुसार संबंधित संदर्भ व्यक्तियों (CWSN)/विशेष शिक्षक (व0अ0) द्वारा काउंसलिंग प्रदान की जायेगी।
- ✓ परिषद् कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रेषित मॉड्यूल के आधार पर पेरेन्ट्स काउंसलिंग करवायी जायेगी।

पेरेन्ट काउंसलिंग हेतु अन्य बिन्दु –

- ✓ वीआई, एचआई, एमआर, सेरेब्रल पाल्सी एवं बहुविकलांगता श्रेणी के विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के पेरेन्ट्स हेतु पेरेन्ट काउंसलिंग आयोजित की जाएगी।
- ✓ अभिभावकों एवं बालक–बालिकाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ब्लॉक स्तर पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (IED) एवं संदर्भ कक्ष पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/विशेष शिक्षक (व0अ0) द्वारा संबंधित विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के अभिभावकों को समय पूर्व सूचना प्रेषित की जायेगी।
- ✓ जिला कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा पेरेन्ट्स काउंसलिंग कार्यक्रम की योजना बनाकर समस्त ब्लॉक को भिजवायी जायेगी। कार्यक्रम के सफल कियान्वयन का दायित्व संबंधित ब्लॉक के सीबीईओं के निर्देशन में ब्लॉक स्तर पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (IED) एवं संदर्भ कक्ष पर कार्यरत संदर्भ व्यक्ति (CWSN)/संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय में कार्यरत विशेष शिक्षक का होगा।
- ✓ कार्यक्रम समापन उपरान्त जिला कार्यालय समग्र शिक्षा एकीकृत रिपोर्ट परिषद् कार्यालय को प्रेषित करें।

वित्तीय प्रावधान :–

- सत्र में दो पेरेन्ट्स काउंसलिंग कार्यक्रम हेतु अधिकतम राशि ₹20,000/–प्रति ब्लॉक का प्रावधान है। प्रति पेरेन्ट्स काउंसलिंग कार्यक्रम हेतु व्यय निम्नानुसार किया जा सकेगा :–

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	संभागियों की संख्या	दर ₹	राशि
1	संभागियों हेतु चाय, भोजन व्यवस्था।	100	60	₹6000
2	स्टेशनरी व अन्य व्यय।	एकमुश्त		₹500
3	संभागियों हेतु आने–जाने का किराया।	वास्तविक		₹3500
		योग		₹ 10,000

- **आवश्यकता होने पर एक उपमद में निर्धारित प्रावधान से अधिक व्यय होने के स्थिति में अन्य उपमद की बचत से व्यय किया जा सकता है किन्तु कुल व्यय ₹ 10,000/– प्रति पेरेन्ट काउंसलिंग कार्यक्रम से अधिक नहीं होना चाहिए।**
- पेरेन्ट्स काउंसलिंग हेतु व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जनवरी माह में प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

- पेरेन्ट्स काउंसलिंग हेतु प्रति दिवस अधिकतम 50 अभिभावकों एवं 50 बच्चों को ही आमंत्रित किया जायेगा।
- उक्त मानदण्डानुसार पेरेन्ट्स काउंसलिंग संदर्भ कक्ष पर वर्ष में दो बार सितम्बर एवं दिसम्बर, 2020 में आयोजित किया जाना है।

मॉनिटरिंग :–

- कार्यक्रम की प्रभावी मॉनीटरिंग संबंधित ब्लॉक के सीबीईओ द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा पर्यवेक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सीबीईओ संबंधित ब्लॉक व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।
- काउंसलिंग कार्यक्रम का रिकार्ड संधारण ब्लॉक कार्यालय एवं संदर्भ कक्ष पर निम्न प्रारूप में किया जायेगा :–

क्र. सं.	नाम अभिभावक	बालक का नाम	दोष का प्रकार	पता	दूरभाष न.	हस्ताक्षर अभिभावक	प्रदत्त परामर्श का संक्षिप्त विवरण

इस परिप्रेक्ष्य में जिला परियोजना समन्वयक उक्तानुसार कार्यवाही कर परिषद् कार्यालय को रिपोर्ट प्रेषित करायेंगे।

➢ **लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :–**

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, एमएचआरडी की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रकियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

- **नोटः–गतिविधि संचालन के दौरान कोविड–19 के सन्दर्भ में चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी समस्त दिशा–निर्देशों का पूर्णता से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।**

(बाबू लाल मीणा)
राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त
आयुक्त, रास्कूशिप एवं
आयुक्त, स्कूल शिक्षा

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/20–21/13778
दिनांक : 17/8/2020

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. निजी सहायक, वित्त नियत्रंक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
9. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
10. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 रहिम शर्मा)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा .....

(जिले का नाम)

विज्ञप्ति

जिले में स्थापित संदर्भ कक्षों पर विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के असेसमेन्ट पश्चात् अपेक्षित संबलन प्रदान करने हेतु फीजियो थैरेपिस्ट,स्पीच थैरेपिस्ट व क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट की सेवाओं की प्रति विजिट प्रति बालक–बालिका की दर के आधार पर आवश्यकता है। इच्छुक नियमानुसार योग्यता प्राप्त व्यक्ति एवं नियमानुसार पंजीकृत एव मान्यता प्राप्त संस्थाओं से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु दरें अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में (दिशा–निर्देश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस में) प्रस्तुत करें। दरें प्रारम्भिक असेंसमेन्ट व फोलोअप कार्य दोनों हेतु अलग–अलग देनी होगी।

जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा,
जिला.....

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
www.rajsmsa.nic.in
फोन नं: 0141–2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प. / जय / आईईडी / 2020–21 / दिनांक

केस हिस्ट्री

1. बालक का नाम .....
2. पिता / माता का नाम .....
3. आयु .....
4. दोष का प्रकार एवं श्रेणी .....
5. स्थायी पता एवं दूरभाष न0 .....
.....
6. बालक से संबंधित समस्याएं यदि कोई हो तो .....
7. बालक की वर्तमान स्थिति
   (ए) दैनिक जीवन के क्रियाकलाप (बी) सामाजिक कौशल
   (सी) शैक्षणिक कौशल (डी) पूर्व व्यावसायिक कौशल
8. बालक में दोष के कारण
   (ए) जन्म से पूर्व
   (बी) जन्म के समय
   (सी) जन्म के पश्चात्
9. बालक के दोष का ज्ञान कब व किसके द्वारा हुआ ?
   .....
10. अभिभावकों के द्वारा किए गए प्रारम्भिक प्रयास :–
   .....
11. बालक को वर्तमान में उपलब्ध कराई जा रही होमबेस्ड एजूकेशन के दौरान बच्चे में सुधार की स्थिति –
   .....
   .....
12. बालक हेतु किसी अंग व उपकरण अथवा सहायक सामग्री की आवश्यकता :–
   .....
13. बालक को उपलब्ध करवाई गई सहायता का विवरण :–
   .....
14. बालक के अंग व उपकरण की वर्तमान स्थिति :–
   .....

15. बालक के प्रभावी विकास हेतु किए जाने वाले उपचारात्मक प्रयास :–

.....

.....

.....

16. बालक के प्रभावी विकास हेतु अभिभावकों से अपेक्षाएँ :–

.....

.....

.....

17. विशेष विवरण :–

.....

.....

.....

दिनांक :–

हस्ताक्षर .....

संदर्भ व्यक्तियों (CWSN)/विशेष शिक्षक (वरिष्ठ अध्यापक)

कोरोना के बचाव के उपाय अपनायें

बार बार
हाथ धोयें

मास्क पहन
कर बाहर जायें

2 गज की दूरी
बनायें रखें

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
www.rajsmsa.nic.in
फोन नं: 0141–2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

1

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2020–21/13783 दिनांक : 17/8/2020

दिशा–निर्देश

(सत्र 2020–21)

विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु एस्कॉर्ट भत्ता (Escort Allowance)

अवधारणा एवं उद्देश्य :–

राज्य में समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का मुख्यधारा में समायोजन, उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढाकर उत्साहवर्धन करने, शैक्षिक एवं थैरेपिक संबलन प्रदान करने, भेदभाव को दूर कर समाज में इनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण तथा अधिकारों एवं क्षमताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाता है। वार्षिक कार्य योजना सत्र 2020–21 के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं को विद्यालय आवागमन हेतु एस्कॉर्ट भत्ता देय होता है। सत्र 2020–21 में एस्कॉर्ट भत्ता उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जानी है:–

- **श्रेणी :–** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों की विकलांगता यथा अस्थिदोष, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दिता, सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से प्रभावित राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं को एस्कॉर्ट भत्ता देय है। Under section 16 (viii) of Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provision is made, "to provide transportation facilities to the children with disabilities and also the attendant of the children with disabilities having high support needs." Transport allowance helps children with special needs in reaching schools.
- **पात्रता :–** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों के विकलांगता यथा अस्थि, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दित व सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से प्रभावित श्रेणी के 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से प्रभावित बालक–बालिकाएं जो घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर तक अकेले (बिना किसी व्यक्ति की सहायता से) पहुंच पाने में असमर्थ है अर्थात इन्हे घर से विद्यालय व विद्यालय से घर तक इनके अभिभावकों द्वारा ही लाया ले जाया जाता है तथा जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इन बालक–बालिकाओं के अभिभावकों को एस्कॉर्ट भत्ता देय होगा।
- **अवधि :–** 6 माह के लिए
- **राशि :–** ₹400/–प्रति माह
- एस्कॉर्ट भत्ता प्रदान किये जाने हेतु समस्त जिला परियोजना समन्वयक माह अगस्त, 2020 में जिले के समस्त ब्लॉक के सीबीईओ के माध्यम से पीईईओ/संस्था प्रधानों से संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे।

- प्राप्त आवेदन पत्रों मे से चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाएगी।

1.	डीपीसी	–	अध्यक्ष
2.	एडीपीसी	–	सदस्य सचिव
3.	एपीसी / पीओ (समावेशित शिक्षा)	–	सदस्य
4.	सहायक लेखाधिकारी	–	सदस्य
5.	संदर्भ व्यक्ति (CWSN)	–	सदस्य

- उक्त कमेटी समस्त आवेदन पत्रों की जाँच करते हुए समस्त पात्र बालक–बालिकाओं का चयन कर एस्कॉर्ट भत्ता जारी किए जाने की अनुशंषा करेगी।
- **समय पर राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत चयनित बालक–बालिकाओं हेतु 6 माह की निर्धारित राशि जिला परियोजना समन्वयक द्वारा निम्नानुसार संबंधित SMC/SDMC को विस्तृत व स्पष्ट निर्देशों के साथ अग्रिम भिजवानी होगी, जिससे बालक–बालिकाओं को प्रतिमाह राशि प्राप्त हो सके।**

माह का नाम जिसमें एसएमसी/एसडीएमसी को अग्रिम राशि जारी करनी है।	माह जिनके लिए एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा एस्कॉर्ट भत्ते का भुगतान किया जाना है।
सितम्बर, 2020	कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माह निर्धारण किया जायेगा।

- **एस्कॉर्ट भत्ते का भुगतान प्रतिमाह उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा। 50 प्रतिशत उपस्थिति से कम पर भत्ता देय नहीं होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण) अथवा अन्य किसी योजना से जिन बालक–बालिकाओं को एस्कॉर्ट भत्ते की राशि प्राप्त हो रही है, उन बालक–बालिकाओं को यह राशि देय नहीं होगी।**
- जिलों को आवंटित लक्ष्यानुसार उक्त राशि का भुगतान जिले के **समावेशित शिक्षा की उपमद** "Escort Allowance" **आंवटित राशि में से व्यय किया जायेगा।**
- उक्त भत्तों का भुगतान संबंधित प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य द्वारा बालक–बालिकाओं की उपस्थिति प्रमाणित करने के पश्चात् किया जाएगा जिसकी सूचना सम्बन्धित प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित सीबीईओ को तथा सम्बन्धित सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी एवं एडीपीसी को प्रेषित की जायेगी।

विशेष बिन्दु :-

- **जिला स्तर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला कलक्टर, जिला परिषद्,, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग आदि विभागों के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये जिससे अधिकाधिक पात्र बालिका–बालिकाओं को लाभ मिल सके।**
- जिले के पात्र सभी विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को एस्कॉर्ट भत्ता दिया जाना है परन्तु, यदि बजट की अनुपलब्धता के कारण सभी पात्र बालक–बालिकाओं को भत्ता दिया जाना संभव नही हो पाता है तो समावेशित शिक्षा की किसी भी गतिविधि में से बचत की राशि से इन्हें भत्ता दिये जाने हेतु Re-appropriation के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक अविलम्ब परिषद् कार्यालय के समावेशित शिक्षा अनुभाग को भिजवाएं।
- एस्कॉर्ट भत्ता मद में जिलें को आंवटित राशि की सीमा में भौतिक लक्ष्य से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा सकेगा। वित्तीय लक्ष्यों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
- एस्कॉर्ट भत्ता का भुगतान परिपत्र में दर्शाये अनुसार प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति आदि प्रमाणित कर निर्धारित प्रकिया सम्पादित करते हुए संबंधित बालक–बालिका के बैंक खाते में एसएमसी / एसडीएमसी द्वारा जमा करवाया जायेगा।

- नवीन पात्र विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओ के जीरो बैलेंस बैंक खाते सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खुलवाये जायेंगे तथा सम्बंधित बालक–बालिकाओं के **बैंक खाते में** एस्कॉर्ट भत्ता जमा कराने के उपरान्त उसी माह में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा अनिवार्य रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित पीईईओ/सीबीईओ तथा सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी को प्रेषित किया जायेगा।
- एस्कॉर्ट भत्ता हेतु कोई न्यूनतम दूरी की बाध्यता नहीं है।
- प्रतिमाह किये जाने वाले भुगतान की जानकारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों को सूचित कर पूर्ण पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराई जायेगी।
- **पात्र CWSN बालक–बालिकाओं की तथा उनको देय एस्कॉर्ट भत्ते की सूचना पीएमएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट करें। बालक–बालिकाओं की सूचना अपडेट करने के बाद एस्कॉर्ट भत्ते वाला ऑप्शन भी आवश्यक रूप से क्लिक करें अन्यथा दिये जाने वाले एस्कॉर्ट भत्ते की प्रगति पोर्टल पर प्रदर्शित नही होगी।**

➢ **लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :–**

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, एमएचआरडी की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रकियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

- **नोटः–गतिविधि संचालन के दौरान कोविड–19 के सन्दर्भ में चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी समस्त दिशा–निर्देशों का पूर्णता से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।**

(बाबू लाल मीणा)
राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त
आयुक्त, रास्कूशिप एवं
आयुक्त, स्कूल शिक्षा

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/20–21/13783
दिनांक :17/8/2020

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्त नियत्रंक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
11. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा।
12. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 रहीम शर्मा)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

एस्कॉर्ट भत्ता हेतु आवेदन पत्र

फोटो

1. नाम बालक / बालिका.....
2. पिता का नाम.....
3. जन्म तिथि.....कक्षा.....
4. स्थानीय पता.....
5. एस.आर. न0.....दोष का प्रकार एवं प्रतिशत.....
6. नोडल / पीईईओ.....ब्लॉक.....
7. विद्यालय.....डाईस कोड.....
8. घर से विद्यालय की दूरी.....
9. आधार कार्ड नम्बर.....
10. खाता संख्या.....IFSC Code.....
11. बैंक का नाम.....
12. वाहन का प्रकार जिससे विद्यालय आने व जाने की व्यवस्था की जा सकती है।
13. क्या अन्य पात्र बच्चों के साथ वाहन का साझा उपयोग हो सकता है। यदि हाँ, तो बच्चों का नाम.....
14. अनुमानित प्रति माह व्यय राशि.....
15. क्या बालक–बालिका घर से विद्यालय तक अकेले आने में असमर्थ है ? यदि हाँ, तो कारण व किसके द्वारा विद्यालय तक लाया ले जाया जाता है .....

.....

हस्ताक्षर अभिभावक

ह0 छात्र / छात्रा

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है एवं बालक/बालिका..... उक्त विद्यालय की कक्षा.....में अध्ययनरत है तथा उक्त बालक/बालिका को ₹.....प्रतिमाह एस्कॉर्ट भत्ता प्रदान किए जाने की अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य
मोहर सहित

कार्यालय उपयोग हेतु

उक्त समस्त तथ्यों की जांच के पश्चात् छात्र/छात्रा.....
पुत्र/पुत्री श्री.....विद्यालय.....को
एस्कॉर्ट भत्ता ₹..... प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर

नाम पद सहित.....

कोरोना के बचाव के उपाय अपनायें

बार बार
हाथ धोयें

मास्क पहन
कर बाहर जायें

2 गज की दूरी
बनायें रखें